स्त्री शिक्षा का विकास

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

की

मास्टर ऑफ एजूकेशन (एम०एड०)

उपाधि की आंशिक अभिपूर्ति हेतु

प्रस्तुत

लघु शोध-प्रबन्ध

2012 – 13

शोध निर्देशक

डॉ. अमरनाथ दत्त गिरि

शोधकर्त्री

प्रिया त्रिपाठी

एम०एड० (छात्रा)

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज,

अतर्रा, (बांदा)

स्त्री शिक्षा का विकास

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

की

मास्टर ऑफ एजूकेशन (एम०एड०)

उपाधि की आंशिक अभिपूर्ति हेतु

प्रस्तुत

लघु शोध-प्रबन्ध

2012 – 13

शोध निर्देशक

डॉ. अमरनाथ दत्त गिरि

शोधकर्त्री

प्रिया त्रिपाठी

एम०एड० (छात्रा)

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज,

अतर्रा, (बांदा)

घोषणा-पत्र

मैं **प्रिया त्रिपाठी,** एम0एड0 (छात्रा) घोषणा करती हूँ कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध **"स्त्री शिक्षा का विकास"** मेरी स्वयं की मौलिक कृति है। इसे मैने माननीय डॉ0 अमरनाथ दत्त गिरि, विभागाध्यक्ष, शिक्षक–शिक्षा विभाग, अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, अतर्रा (बाँदा) के निर्देशन में पूर्ण किया है। इसके पूर्व इस कार्य को अन्यत्र उपयोग नहीं किया गया है।

शोधकर्त्री

दिनांक– 29/04/2013
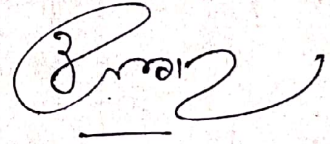
प्रिया त्रिपाठी

(प्रिया त्रिपाठी)

एम0एड0 (छात्रा)

शोध निर्देशक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **प्रिया त्रिपाठी** पुत्री श्री कमलेश कुमार त्रिपाठी एम0एड0 (सत्र : 2012–13) ने **"स्त्री शिक्षा का विकास'** शीर्षक से लघु शोध प्रबन्ध मेरे निर्देशन में पूर्ण किया है। इनका कार्य मौलिक है। मैं इनके कार्य के मूल्यांकन की संस्तुति करता हूँ।

शोध निर्देशक

दिनांक– 29.04.2013

डॉ. अमरनाथ दत्त गिरि

आभार प्रदर्शन

प्रस्तुत लघु शोध प्रबन्ध को इस प्रारूप में लाने में अपने गुरुजनों, आत्मीयजनों एवं अन्य से समुचित मार्ग निर्देशन एवं उल्लेखनीय सहयोग मिला है। मैं उनकी निःस्वार्थ सहायता के लिए अत्यधिक आभारी हूँ जिनके असीम स्नेह एवं वात्सल्य के कारण ही इच्छित विषय को इस रूप में करने में समर्थ हो सकी हूँ।

सर्वप्रथम मैं उस ईश्वर को धन्यवाद करना चाहूँगी जिनसे मुझे शक्ति मिलती है तथा भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती जी की मैं बहुत आभारी हूँ जिनके आशीर्वाद से मैं यह लघु शोध कार्य पूर्ण कर सकी हूँ।

मैं अपने आदरणीय प्राचार्य डॉ० वीरेन्द्र सिंह भदौरिया जी की बहुत आभारी हूँ जिनकी छत्रछाया में मैं यह लघु शोध प्रबन्ध पूर्ण कर सकी हूँ।

मैं अपने शिक्षक शिक्षा विभाग के निर्देशक डॉ० अमरनाथ दत्त गिरि जी की बहुत आभारी हूँ जिनके निर्देशन में मैंने यह लघु शोध प्रबन्ध पूर्ण किया।

मैं अपने महाविद्यालय अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कालेज अतर्रा (बाँदा) के पुस्तकालयाध्यक्ष के सहयोग की आभारी हूँ जिनके बिना यह शोध प्रबन्ध पूरा करना असंभव था।

मैं विशेष रूप से अपने माता–पिता व परिवारजनों की आभारी हूँ जिनके निरन्तर उत्साहवर्धन, आशीर्वाद व स्नेह से में इस मुकाम तक पहुँच सकी और यह शोध कार्य पूर्ण कर सकी।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह लघु शोध प्रबन्ध मैने पूर्ण मनोयोग, श्रद्धा तथा मेहनत से तैयार किया। मैने पूरी कोशिश के साथ इसे यह रूप दिया है। फिर भी कुछ कमियाँ रह जाती हैं, यदि ऐसा हो तो मैं क्षमा की प्रार्थिनी हूँ।

प्रिया त्रिपाठी

दिनांक– 29/04/2013

(प्रिया त्रिपाठी)

एम०एड० छात्रा

अनुक्रमणिका

अध्याय-प्रथम

1.1 प्रस्तावना

स्त्री का जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरूष की तरह ही अपना एक विशिष्ट स्थान है। इसके प्रत्येक कार्य–कलापों का प्रभाव भी मनुष्य के समस्त जीवन पर पड़ता है। योग्य सुशिक्षित स्त्रियाँ जिस परिवार, जिस समाज में होंगी उसकी उन्नति, विकास एवं प्रगति भी निश्चित होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव समाज के जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा स्थान है। स्त्री की उन्नत अथवा पतित स्थिति पर ही समाज का भी उत्थान एवं पतन निर्भर है।

स्त्री गृहिणी है, नियंत्री है, अन्नपूर्णा है,
स्त्री में ममतामयी माँ का अस्तित्व निहित है,
स्त्री पुरूष की प्रगति, विकास की प्रेरणा–स्रोत जान्हवी है,
स्त्री अनेक पविारों का संगम–स्थल है,
स्त्री मनुष्य की आदि गुरू है, निर्मात्री है।

स्त्री घर की नियंत्री है–

वह सब तरह घर का नियंत्रण करती है। घर के कामों की देख रेख, संचालन व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी पर है।

"गृहिणी गृहमुच्यते"

कहकर हमारे पूर्वजों ने इसीलिए उसका सम्मान किया है।

स्त्री अन्नपूर्णा है–

घर में स्त्री सभी को आवश्यक खाद्य पदार्थों से तृप्त करती है। पति से लेकर सास–ससुर, घर के अन्य सभी सदस्यों को समान रूप से तृप्त करती है। इतना ही नहीं अतिथि, गृहपालित पशु से लेकर पड़ोस के कुत्ते तक को भी समान स्नेह, प्रेम, वात्सल्य के साथ भोजन देकर तृप्त करती है इसीलिए उसे अन्नपूर्णा कहा गया है।

स्त्री निर्मात्री है–

गृह व्यवस्था, गृह कार्य के साथ–2 सत्संगति का निर्माण भी स्त्री ही करती है। बालक को जन्म देने से लेकर उसका विधिवत पालन–पोषण, शिक्षा, प्रेरणा द्वारा बच्चों को महान बनाने का उत्तरदायित्व नारी पर ही है।

महर्षि रमण का कथन है–

पति के लिए चरित्र, सन्तान के लिए ममता,

समाज के लिए दया तथा जीवमात्र के लिए करूणा

संजोने वाली महाकृति का नाम सत्री है।

ऐसी महाकृति जिस समाज में रहेगी, निश्चित रूप से वह समाज उत्तरोत्तर प्रगति करता रहेगा। स्त्री वह इकाई है जो परिवार से लेकर राष्ट्र तथा उससे भी ऊपर प्राणिमात्र की चिन्ता करते हुये उसके मंगल हेतु सदैव प्रयत्नशील रहती है। नारी वह दीपक है जो स्वयं जलकर सामाजिक अन्धकार को चुनौती देते हुये प्रकाश भर देती है। स्त्री जहाँ सृजनात्मक शक्ति की साकार प्रतिमा है वहीं वह सदाचार की धात्री, कत्री और रक्षिका भी है।

लेकिन सब मान्यताओं के होते हुये भी हमारे समाज में स्त्रियों को उचित स्थान प्राप्त नहीं है। स्त्रियाँ अभी भी पुरूष के अधीन हैं। वे अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य नहीं कर सकती हैं। आदिकाल से स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा है।

आज सारे संसार में स्त्रियों का स्तर पुरूषों से नीचे है। भारत भी इससे अलग नहीं है। परिवर्तशीलता के नैतिक नियम के कारण भारतवर्ष में स्त्री की दशा सदा एक सी नहीं रही है। वर्तमान समय में यह कहा जाता है कि शिक्षा के द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है।

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। शिक्षा का महत्त्व जीवन में बहुत अधिक है, क्योंकि शिक्षा ही मानव को, चाहे शिक्षा पुरूष के लिये हो या स्त्री के लिये, निश्चित ही अंधकार से प्रकाश एवं ज्ञान के उजाले की ओर ले जाने वाली होती है। आज भारत में प्रजातंत्र के विकास के लिये सर्वाधिक आवश्यकता शिक्षित महिलाओं व बालिकाओं की है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योगदान देती है। उसके व्यक्त्वि का पूर्ण विकास करती है, उसे अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है। उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिये तैयार करती है और उसके व्यवहार विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती है जो समाज, देश और विश्व के लिये हितकारी होता है।

जब शिक्षा का सम्बन्ध स्त्री शिक्षा से जोड़ा जाता है तब शिक्षा के उदीयमान स्वरूप एवं संभावित परिणामों से बहुत आशा की जाती है। शिक्षा से स्वावलंबन की भावना को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है, जो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, विशेषकर स्त्रियों के लिये व्यक्तित्व विकास और कुछ अर्जित करने के स्वावलंबन अनिवार्य है। नारी को पुरूष के समान स्तर पर लाने और उसके चरित्र, समान और गरिमा को बनाने में स्वावलंबन एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है, किन्तु शिक्षा के बिना स्वावलंबन की बात करना असंभव एवं अकल्पनीय है।

समाज में शिक्षा की प्रथम पाठशाला परिवार को माना जाता है। किसी भी परिवार की अहम धुरी माँ होती है लेकिन अशिक्षित माँ के द्वारा बच्चे में उन्नत संस्कारों का निरूपण असम्भव है क्योंकि यह उसकी गूढ़ व सम

सामयिक समस्याओं का निदान करने में स्वयं को असमर्थ पाती है। कहा भी गया है कि एक योग्य और शिक्षित माँ जिस प्रकार बच्चे के सर्वांगीण विकास को समझ सकती है, अशिक्षित माँ द्वारा ऐसा सम्भव नहीं है।

स्त्रियों की साक्षरता समाज के विकास का आधार है व वह ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है क्योंकि स्त्री सृष्टि की संरचना में अहम भूमिका का निर्वहन करती है, परन्तु विडम्बना है कि सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप लगभग इस प्रकार का है कि इसमें स्त्री शिक्षा में व्यवधान के बहुत से कारण उपस्थित रहते हैं और इसमें परिवार की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि घर में असहयोगी वातावरण विकास के सभी रास्तों को असहज बना देता है। यह बात सर्वविदित है कि आज भी समाज का दायरा स्त्रियों के लिए सहयोगी नहीं है और वह उनके सामने किसी न किसी रूप में समस्याएं खड़ी करता रहता है। स्त्री शिक्षा को वैसे ही अवरूद्ध करने का प्रयास किया जाता है जैसे एक बड़े पौधे को जो वटवृक्ष बनने की क्षमता रखता है उसे गमले में उगाकर बोनसाई बना दिया जाता है। एक साक्षर स्त्री परिवार, समाज व राष्ट्र के विकास का मजबूत स्तम्भ होती है।

आज सामान्य भारतीय नारी की शिक्षा की स्थिति क्या है? यह जानने के लिये प्राचीन काल के पन्ने पलटना अनुचित नहीं होगा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने से प्रतीत होता है कि प्राचीन समाज आज की अपेक्षा एक खुला समाज था और उसमें स्त्रियों को भी वे सभी अधिकार प्राप्त थे जो पुरूषों को थे। शिक्षा प्रारम्भ करने में किसी प्रकार के भी भेदभाव दृष्टिगोचर नहीं होते क्योंकि वैदिक युग में स्त्रियाँ पुरूषों के साथ निर्बाध रूप से शिक्षा ग्रहण करती थीं। शिक्षा ग्रहण करने के पूर्व उपनयन भी किया जाता था क्योंकि यह शिक्षा

प्रारम्भ करने का आधार था। अनेक ऐसी विदुषी थीं जिन्हें दर्शन और तर्कशास्त्र में निपुणता प्राप्त थी और उन्होंने अनेक वैदिक ऋचाओं का प्रणयन किया जिसम रोमशा, अपाला, विश्वतारा, लोपामुद्रा, घोषा आदि प्रमुख थी। दर्शन जैसे गूढ़ विषय पर भी वे गम्भीरतापूर्वक विचार विनिमय कर लिया करती थीं। उस समय स्त्रियों को संगीत नृत्य आदि ललित कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी।

मनुस्मृति में यह कहा जाता है कि वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत गरिमामय स्थान प्राप्त था और स्त्रियों को काफी सम्मान प्रदत्त था।

उत्तर वैदिक काल में इस दृष्टिकोण में काफी अन्तर आ गया। स्त्रियों का समाज में स्थान पुरूषों के बराबर नहीं रहा, निम्न हो गया। उनकी शिक्षा भी उपेक्षित हो गयी। गार्गी, मैत्रेय, घोषा, अपाला आदि की परम्परा टूट गयी और तब मूर्खतापूर्ण सूक्तियाँ चल पड़ी, स्त्री और शूद्र को नहीं पढ़ना चाहिए। शंकराचार्य का लिखा एक ग्रन्थ है– **प्रश्नोत्ररी**। उसमें **शंकराचार्य** ने कई स्थानों पर नारी की भरपूर निन्दा की है। कहा जाता है कि भारतीय नारी के दमन का इतिहास उस समय से प्रारम्भ होता है। जब मनु ने हिन्दू सामाजिक अधिनियम की स्थापना की। मनु ने नारी की तुलना एक टेड़ी छड़ी से की और कहा कि स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए। मनु के सिद्धान्तों के अनुसार स्त्री को सदैव अपने पति की पूजा करनी चाहिए। उसे भगवान के रूप में समझना चाहिए, चाहे वह कितना ही गिरा हुआ क्यों न हो। स्त्री को सदैव अपने पति के अधिपत्य में रखा जाना चाहिए। क्योंकि स्त्री संभवतः कामी एवं बेवफा होती है। **महर्षि मनु** के अनुसार स्त्री का बचपन उसके पिता के अधीन होता है, उसकी जवानी उसके पति के अधीन होती है और उसका पति नहीं रहता है

तो वह अपने बच्चे के अधीन होती है। इस तरह की स्त्रियों को असहाय, कमजोर एवं अबला समझा जाता था एवं परिवार की सुख समृद्धि की स्थापना करने वाली समझा जाता था। शनैः शनैः स्त्री शिक्षा में गिरावट आयी। धार्मिक शिक्षा केवल उच्च घराने की स्त्रियों को ही सुलभ थी। सीमित स्वतंत्रता के कारण स्त्री के व्यक्तित्व और उसके सामाजिक स्तर में काफी गिरावट आयी।

बौद्धकाल के प्रारम्भ में स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि बौद्ध धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरूषों की अपेक्षा निम्न था, उन्हें संघ प्रवेश की स्वतंत्रता न थी। कुछ समय उपरान्त स्त्री शिक्षा का प्रचलन प्रारम्भ हो गया, किन्तु इस क्षेत्र में केवल सीमित विकास हो सका। बौद्ध शिक्षा के प्रारम्भिक काल में स्त्री शिक्षा को कुछ प्रोत्साहन मिला और उनके लिये पृथक मठों और विहारों का निर्माण हुआ। किन्तु शिक्षा प्राप्त करने वाली स्त्रियों की संख्या अति अल्प थी। बौद्धकाल में इन सब असुविधाओं के बावजूद भी अनेक विदुषियाँ हुई, जिन्होंने धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया।

इस्लाम धर्म के उदय में स्त्रियों ने अपनी महत्वता पूर्णता खो दी और वह जीवन की मुख्य धारा से कटकर शक्तिहीन हो गई, एवं अलग अकेली पड़ गई। वह पुरूष जाति पर और अधिक अधीन हो गई। समाज में मठाधीशों द्वारा बनाये गये सामाजिक नियमों में स्त्रियों के व्यक्तित्व उसकी छवि और क्षमता को पूर्णता नकारा गया। आमानवीय और बुरी चीजें रीति–रिवाजों के नाम पर स्त्रियों पर थोपी गई। इन बुराइयों में से मुख्यता सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर पूर्ण रोक तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन प्रमुख है। विजेता मुस्लिम राजाओं ने हारे हुए हिन्दू राजाओं को अपने अधीन किया। उसके उत्पत्ति के कारण रानियों ने अपने पति के शव के साथ सती होना प्रारम्भ कर

दिया। मुसलमानों से अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हिन्दुओं ने अपनी लड़कियों की शादी कम उम्र में करना प्रारम्भ कर दिया। पर्दा प्रथा के कारण शिक्षा के द्वार प्रायः बंद हो चले और लड़कियों की शिक्षा पर स्वतः ही पर्दा पड़ गया। केवल समाज के उच्च धनी वर्ग की स्त्रियाँ ही अपने घर पर थोड़ी बहुत शिक्षा प्राप्त कर लेती थी। किन्तु फिर भी इस काल में **रजिया बेगम, गुलबदन, नूरजहाँ, जीजाबाई, दुर्गाबाई, अहिल्याबाई** आदि **विदुषियाँ** हुईं, जिनका नाम आज भी प्रसिद्ध है। इस तरह वैदिक युग की शिक्षा पद्धति धीरे–धीरे घर के दरवाजे तक सीमित रह गई और शिक्षा के प्रचार के प्रसार को अंधकारमय बना दिया।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में वैसे ही शिक्षा उपेक्षित रही थी। जो कुछ प्रयास भी किये गये, वे लड़कों की शिक्षा के लिये किये गये। स्त्री शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि कम्पनी को अपने शासन प्रबन्ध के लिये शिक्षित युवक चाहिए थे न कि युवतियाँ।

"श्री एडमस" ने उस समय स्त्री शिक्षा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि–

समस्त स्थापित शिक्षण संस्थायें पुरूषों के लाभार्थ हैं, समस्त महिला जगत अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है।

स्त्रियों की शिक्षा के विकास का प्रारम्भ 1810 मे तब हुआ जब अंग्रजों और इसाई मिशनरियों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित पहली पुस्तक बंगला मे 1819 में गुरूमोहन विद्यालंकार द्वारा लिखी गयी जिसे कोलकाता की बाल कन्या ने प्रकाशित किया।

19वीं शताब्दी के मध्य तक बंगाल विशेषकर कोलाकाता में स्त्रियों की शिक्षा का मुददा उदार हिन्दुओं, ब्राह्मणों और प्रगतिशील छात्रों के लिए आन्दोलन का विषय बन गयी। उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में जहाँ मिशनरी

स्कूलों में गरीब घरों की लड़कियाँ पढ़ती थीं वहीं इन नये स्कूलों में ऊँची जातियों की लड़कियाँ पढ़ती थी। गृह शिक्षा आन्दोलन के नाम से मशहूर इस आन्दोलन की शुरूआत मिशनरियों द्वारा की गयी। स्त्रियों की शिक्षा के आन्दोलन का उल्लेख सामान्य रू॰ से उभरते मध्यवर्ग द्वारा अपनी स्त्रियों के पाश्चात्य तौर तरीके सीखने में प्रेरणा के रूप मे था। धीरे–धीरे पूरे देश में स्त्री शिक्षा का विकास होता गया और वह समय भी आ गया जब इन शिक्षित स्त्रियों ने ऐसे–2 कार्यों को अंजाम दिया जो सामान्य परिस्थितियों में सम्भव नहीं थे। राष्ट्रीय आन्दोलन में भी उन्होंने अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से सिद्ध की।

महात्मा गांधी के अनुसार– ''स्त्री पुरूष का बराबरी का दर्जा है दोनों मानसिक रूप से समान हैं। स्त्री को सहज अपनी पति के हर कार्य में भागीदारी का पूर्ण अधिकार है जैसा कि उसके पति को है'' महज कुरीतियों से एक अनपढ़ बेकार पुरूष की प्रभुत्ता स्त्री पर लादा जाना अन्यायपूर्ण हैं।

वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुरूष के समान स्त्रियों को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। **कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सोनिया गांधी** आदि वर्तमान समय की उच्च शिक्षित एवं सुसंस्कृत स्त्रियाँ हैं। जिन्हें समाज में उच्च स्थान प्राप्त है परन्तु शिक्षा प्राप्त करने के सुलभ अवसर आज भी अमीर वर्गों को प्राप्त है। निम्न वर्गों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उनकी शैक्षिक दशा आज भी प्रभावित है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि स्त्रियों को अपनी शिक्षा पूर्ण करने में अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण स्तर पर आज भी स्त्री शिक्षा का प्रतिशत काफी कम है और छोटी आयु में ही विवाह हो

जाने के कारण वे अशिक्षित ही रह जाती है। गाँवों में आज भी ऐसी कितनी ही स्त्रियाँ हैं जिन्हें अक्षर का भी ज्ञान नहीं है और उन्हें अपने नाम की जगह अंगूठा लगाना पड़ता है। अज्ञानता की वजह से आज भी स्त्री शिक्षा जैसे जरूरी अधिकार से वंचित है। आज स्त्री शिक्षा के महत्व को भारतवर्ष में स्वीकार किया गया है और स्त्री शिक्षा के लिये महत्वपूर्ण प्रयास किये जा रहे है।

स्त्री शिक्षा का महत्व–

किसी परिवार, समाज व देश के गौरव को ऊँचा करने में माताओं का विशेष तौर से शिक्षित स्त्रियों का सदैव से महत्वपूर्ण स्थान रहा है। एक बार **राष्ट्रपति लिंकन** ने कहा था–

मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ बनने की आशा करता हूँ उसके लिये मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ।

इसी प्रकार महान सेनानायक **नेपोलियन** ने भी कहा था–

बालक का भावी भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्मित किया जाता है।

अतः देश की पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को सामने रखते हुए स्त्री–शिक्षा की उचित व्यवस्था करना अति आवश्यक है। आगे शोधकर्त्री द्वारा इन्हीं परिस्थितियों को सामने रखते हुए स्त्री शिक्षा के महत्व को प्रस्तुत किया गया है–

1. **पारिवारिक दृष्टि से महत्व–**

परिवार में माताओं का स्थान एवं महत्व सबसे अधिक है क्योंकि मातायें ही बालकों को सुशिक्षित कर परिवार का योग्य सदस्य बना सकती है और सम्पूर्ण पारिवारिक जीवन में सुख का संचार कर सकती है किन्तु यह तभी

सम्भव है जबकि उनकी शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाये।

दूसरे शब्दों में पारिवारिक उत्तरदायित्व का पालन करने के लिये स्त्रियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। वास्तव में जैसा कि **फ्रोबेल** ने लिखा है–

मातायें आदर्श अध्यापिकायें हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली और स्वाभाविक है।

2. सामाजिक दृष्टि से महत्व–

स्त्रियाँ संस्कृति एवं समाज सभ्यता की संरक्षक एवं वाहक है। अतः समाज की प्रगति के लिये पुरूषों की भांति स्त्रियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। वास्तव में वे शिक्षा प्राप्त कर ही परिवार के सीमित क्षेत्र के बाहर निकलकर **"वसुधैव कुटुम्बकम"** की भावना से प्रेरित होकर सम्पूर्ण समाज की प्रगति में सहायक हो सकती है। इस प्रकार देश के सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए स्त्री शिक्षा को महत्व देना और तदनुकूल उसकी व्यवस्था करना अति आवश्यक है।

3. आर्थिक दृष्टि से महत्व–

वर्तमान समय की परिवर्तित परिस्थितियों में पुरूषों के समान ही भारतीय नारियों के कन्धों पर भार आ पड़ा है। अब स्त्रियों का जीवन घर की चहार दीवारी तक सीमित रखना मुश्किल है। अब उनसे भी यह आशा की जाने लगी है कि परिवार, समाज तथा देश की आर्थिक स्थिति में प्रगति लाने में सक्रिय भूमिका निभायें और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। इन सब बातों के लिये उन्हें उपयोगी शिक्षा देना अति आवश्यक हो गया है।

4. राजनीतिक दृष्टि से महत्व–

पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि के समान राजनैतिक दृष्टि से

भी स्त्री–शिक्षा का कम महत्व नहीं है। वे शिक्षित स्त्रियाँ ही हैं जो कि अपने बच्चों की उचित देखभाल व शिक्षा की व्यवस्था कर उन्हें सुयोग्य नागरिक एवं देश का कर्णधार बनाकर उन्हें राष्ट्र की प्रगति में योगदान के लिए अग्रसर एवं प्रेरित करती है। इतना ही नहीं अब स्त्रियों से यह आशा की जाती है कि वे सक्रिय राजनीति में भाग लेकर राष्ट्र के गौरव तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास में योगदान दें। आज कितनी ही शिक्षित नारियाँ राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में हाथ बटा रही हैं। वस्तुतः लोक तंत्रीय राष्ट्र की सफलता के लिए स्त्रियों को शिक्षित होना अति आवश्यक है। अतः स्त्री शिक्षा की व्यवस्था करना आज देश की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है।

1.2 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

हमारे देश की शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं में स्त्री शिक्षा की समस्या एक प्रमुख समस्या है। यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्त करने के उपरान्त स्त्री शिक्षा में पर्याप्त प्रगति हुई किन्तु पाश्चात्य देशों की तुलना में हमारे देश की स्त्रियाँ अशिक्षित रहेंगी तब तक हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता है। एक अंग्रेजी कहावत में कहा गया–

जो हाथ पालने को झुलाता है वह संसार का शासन भी करता है।

इस कहादत से स्पष्ट होता है कि माँ का बालकों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि स्त्रियाँ शिक्षित हैं तो वे माँ, पत्नी और बहन के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य कर व्यक्ति, परिवार, समाज और देश को सुसंस्कृत बना सकती है। ऐसी स्थिति में स्त्री शिक्षा की समस्या का समाधान करना आवश्यक है। व्यक्ति और समाज को ऊँचा उठाने में अनेक घटकों का योगदान होता है, पर व्यक्ति एवं समाज में उदारता एवं उदात्तता, शालीनता का बीजारोपण

मातृशक्ति द्वारा ही होता है। शिशु को आरम्भिक शिक्षा देते हुए भारतीय संस्कृति कहती है।

मातृमान–पितृमान, आचार्यवान पुरूषो वेद

अर्थात् माता – पिता और आचार्य ही मनुष्य जीवन को ढालने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन तीनों में माँ का स्थान सर्वप्रथम और सर्वोपरि है।

नीतिशास्त्र में एक प्रश्न किया गया है–

पृथ्वी से भी बड़ा कौन है?

उसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं–

'पृथिव्या माता गरीयसी'

माता पृथ्वी से भी बड़ी है।

स्त्री जाति मानव समाज का आधा अंग है जिसकी स्थिति से सम्पूर्ण समाज प्रभावित होता है। किसी मनुष्य के शरीर का अर्द्धांग असाध्य बीमारी से ग्रस्त हो या उसे लकवा मार जाए तो सम्पूर्ण शरीर का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। स्त्री की गति, स्थिति पग–पग पर मानव जीवन को प्रभावित करती है।

शिक्षित नारी ही परिवार एवं समाज की शोभा है मनु ने ठीक ही कहा है–

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया।

अर्थात् जिस कुल में स्त्रियों का समादर है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं और जहाँ ऐसा नहीं है, उस परिवार में समस्त यज्ञादि क्रियायें व्यर्थ होती हैं। महर्षि कर्वे ने कहा है–

राष्ट्र के उत्कर्ष निर्माण के लिये तमाम नारियाँ शिक्षित होनी चाहिए।

प्रजातंत्रात्मक देशों में स्त्रियों की शिक्षा को सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। आज भारतवर्ष में भी प्रजातंत्र के विकास व सफलता के लिये सर्वाधिक आवश्यक शिक्षित महिलाओं एवं बालिकाओं की है। शिक्षा के द्वारा ही विचारों में परिवर्तन किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा उचित एवं अनुचित को समझा जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही स्त्रियों को समाज एवं परिवार में उच्च स्थान प्राप्त हो सका। स्त्री शिक्षा को महत्व देते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय **पं0 जवाहर लाल नेहरू** ने कहा था–

"एक लड़के की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है परन्तु एक लड़की की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा है।"

महात्मा गांधी ने स्त्री शिक्षा को पुरूष की शिक्षा से किन्हीं अर्थो में हेय दृष्टि से नहीं देखा। उनके अनुसार स्त्री के त्याग के बिना पुरूष का सुख पाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। स्त्री शिक्षा के विषय में **गांधी जी** ने कहा था–

"बच्चों की शिक्षा का प्रश्न तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक कि स्त्री शिक्षा को गंभीरता से न लिया जाये।"

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, उड़ने के लिये दोनो पंख आवश्यक है। सामाजिक व्यवस्था केवल पुरूष शिक्षा से ही नहीं चल सकती इसके लिये स्त्री पुरूष दोनों का शिक्षित होना आवश्यक है। स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए **स्वामी विवेकानन्द** ने कहा है–

पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो तब वे आपको बतायेंगी कि उनके लिये कौन से सुधार आवश्यक हैं, उनके मानले में बोलने वाले तुम कौन हो।

आज देश तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसे समय में स्त्रियों को शिक्षा से वंचित करना समाज के विकास के मार्ग को अवरूद्ध करना है। अतः स्त्रियों को शिक्षित करके हम मनुष्य का सामाजिक, नैतिक चारित्रिक गुणों का विकास कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षित स्त्रियाँ ही देश की भावी कर्णधारों के निर्माण में अपना सहयोग देती हैं। आज स्त्री होने पर भी समाज सुधारक के रूप में मदर टेरेसा का नाम सम्मानीय है।

आज हम किसी भी दृष्टि से विचार करें स्त्री शिक्षा का महत्व उजागर ही होगा और जितना अधिक विचार करें स्त्री शिक्षा का महत्व उतना ही गंभीर होता जायेगा। आज के युग में स्त्री शिक्षा का महत्व और बढ़ गया है। इतिहास इस बात का साक्षी है जब–जब इस बात पर ध्यान दिया गया है, तब देश उन्नति के शिखर पर पहुँच गया है। स्त्री शिक्षा के महत्व को व्यक्त करते हुए **पेस्टालाजी** ने कहा है कि–

एक माता सौ शिक्षकों के बराबर होती है।

1.3 समस्या कथन

प्रस्तुत शोध कार्य में जो समस्या शोधकर्त्री द्वारा चुनी गयी है वह एक महत्वपूर्ण समस्या है। स्त्री शिक्षा का इतना विकास होने पर भी वर्तमान समय में शिक्षा के द्वारा स्त्री की दशा में अपेक्षाकृत कम सुधार हुआ है। इसलिये शोधकर्त्री ने इस महत्वपूर्ण समस्या का अपने शोधकार्य के लिये चुना है। अतः शोधकर्त्री द्वारा चयनित समस्या है – **स्त्री शिक्षा का विकास**

1.4 समस्या का परिभाषीकरण

प्राचीन समय में स्त्रियों की शैक्षिक एवं सामाजिक दशा उच्च थी। उन्हें

पर्याप्त शिक्षा के साधन उपलब्ध थे। समाज में उनकी स्थिति सम्मानजनक थी। वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत गरिमामय स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में इस दृष्टिकोण में काफी अन्तर आ गया। स्त्रियों का समाज में स्थान पुरूषों के बराबर नहीं रहा, निम्न हो गया। उनकी शिक्षा भी उपेक्षित हो गयी। बौद्ध काल में कुछ समय उपरान्त स्त्री शिक्षा का प्रचलन प्रारम्भ हो गया, किन्तु इस क्षेत्र में सीमित विकास हो सका। इस्लाम धर्म के उदय से स्त्रियों ने अपनी महत्वता पूर्णता खो दी और वह पुरूष जाति के अधीन हो गई। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की शिक्षा और सामाजिक दशा में सुधार हेतु किये गये प्रयास सफल रहे।

वर्तमान समय में आज स्त्रियों की शिक्षा हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे हैं। उन्हें भी पुरूष प्रधान समाज में शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। उनकी सामाजिक दशा भी कुछ हद तक संतोषप्रद है। किन्तु फिर भी अनेकों प्रयासों के बावजूद स्त्रियों को पूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जिस कारण इस क्षेत्र में और प्रयासों की जरूरत है।

1.5 अध्ययन के उद्देश्य

किसी भी कार्य को करने से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण करना अति आवश्यक होता है। उद्देश्यों के निर्धारण के अभाव में हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। प्रस्तुत अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं–

1. प्राचीन और वर्तमान समय में स्त्रियों की शैक्षिक दशा का अध्ययन करना।
2. वर्तमान समय में स्त्रियों की शिक्षा पर कितना जोर दिया जा रहा है, इसका अध्ययन करना।
3. पुरूष प्रधान समाज में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।

4. वर्तमान समय में शिक्षा के उपलब्ध अवसरों के उपयोगों का अध्ययन करना।
5. स्त्री शिक्षा के विकास पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना।

1.6 अध्ययन की परिसीमाएं

साधन व समय के अभाव में शोधकर्त्री द्वारा स्त्रियों के शैक्षिक पक्ष के विकास का ही अध्ययन किया जा सका है।

अध्याय-द्वितीय

2.1 सम्बन्धित साहित्य का अनुशीलन

सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन शोधकर्ता को नवीनतम ज्ञान के शिखर पर ले जाता है जहाँ उसे अपने क्षेत्र से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों एवं परिणामों का मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है तथा यह ज्ञात होता है कि ज्ञान के क्षेत्र में कहाँ रिक्तियाँ हैं? कहाँ निष्कर्ष विरोध है? कहाँ पुनः अनुसंधान की आवश्यकता है? जब वह दूसरे शोधकर्ता के शोध कार्यों की जाँच एवं मूलयांकन करता हे तो उसे बहुत सी अनुसंधान विधियों, बहुत से तथ्यों, बहुत से सिद्धान्तों, संकल्पनाओं एवं संदर्भ ग्रन्थों का ज्ञान होता है जो उसके अपने अनुसंधान में उपयोगी सिद्ध होते हैं।

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन द्वारा बहुत से अनुसंधान प्रतिवेदनों की कमियों और अच्छाइयों को जान लेने के बाद इस बात की तनिक भी संभावना नहीं रह जाती है कि वह अपने अनुसंधान में उन गलतियों की पुनरावृत्ति करेगा जो उसके पूर्व शोधकर्ता कर चुके हैं।

सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य शोध की समस्या से सम्बन्धित उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान–कोषों, पत्र–पत्रिकाओं, प्रकाशित–अप्रकाशित शोध प्रबन्धों एवं अभिलेखों से है जिनके अध्ययन से शोधकर्ता को अपनी समस्या के चयन, परिकलपनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है।

डब्ल्यू0आर0 बोर्ग ने इसके महत्त्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि–

"किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधार शिला के समान है जिस पर सम्पूर्ण भावी कार्य आधारित होता है। यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा इस नींव को दृढ़ नहीं कर लेते तो हमारे कार्य को प्रभावहीन, महत्वहीन तथा पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना होती है।"

अतः यह कहा जा सकता है कि शोध की सफलता, सरलता और उपयोगिता के लिए सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन आवश्यक है।

सम्बन्धित साहित्य के अध्ययन से हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं–

1. यह अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचाता है।
2. अब तक समस्या से सम्बन्धित क्षेत्र में हो चुके कार्य की सूचना देता है।
3. पहले किये गये कार्य के आंकड़े वर्तमान अध्ययन में सहायक होते हैं।
4. यह समस्या के चुनाव, विश्लेषण एवं कथन में सहायक होते हैं।
5. इसके अध्ययन से शोधकर्ता के समय की बचत होती है।
6. समस्या के सीमांकन में सहायक होता है।
7. इससे अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने में सहायता मिलती है।
8. शोधार्थी को त्रुटियों से बचाता है एवं सावधान रखता है।
9. अध्ययन की विधि में सुधार कर श्रम की बचत करता है तथा शोधकर्ता में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है।
10. यह अनुसंधान कार्य का आधार होता है इसके अभाव में शोध कार्य के दिशाहीन होने की संभावना रहती है।

2.2 सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण

शोधकर्त्री ने अपनी समस्या का अध्ययन करते समय अपने विषय से सम्बन्धित निम्न अध्ययनों का सर्वेक्षण किया है–

प्राचीन समय में स्त्रियों की शैक्षिक दशा का अध्ययन

ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की शैक्षिक दशा।

❖ वैदिक कालीन शिक्षा साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय पुरुषों के समान स्त्रियों को भी शिक्षा पाने का पूर्ण अधिकार था।

❖ उन्हें वेदाध्ययन की पूरी–पूरी स्वतंत्रता थी।

❖ बालिकाओं को धर्म और साहित्य के अतिरिक्त नृत्य, संगीत, काव्य रचना, वाद–विवाद आदि की भी शिक्षा दी जाती थी।

❖ इस काल में हमें राजनीति एवं युद्ध विद्या में भी निपुण स्त्रियों के उदाहरण प्राप्त होते हैं।

❖ बालकों की भांति बालिकाओं का वेदाध्ययन करने के पूर्व उपनयन संरकार अनिवार्य था।

❖ बालकों के समान वे भी ब्रह्मचर्य जीवन और उसके नियमों का पालन करते हुए ज्ञानार्जन करती थी।

❖ कहीं–कहीं पर बालिकाओं के लिए छात्रावासों की व्यवस्था थी जिनका निरीक्षण महिला अध्यापकों द्वारा होता था।

- ❖ इस प्रकार स्पष्ट है कि वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम उत्कर्ष पर थी और पुरुषों की भांति स्त्रियाँ भी समाज की सभ्य, शिक्षित एवं सम्मानित अंग थीं।

उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की शैक्षिक दशा

- ❖ ऋग्वैदिक काल की भाँति ही उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह प्रथा नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में नारी की चतुर्मुखी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था।
- ❖ अथर्ववेद के अनुसार स्त्रियाँ पति के साथ यज्ञ में सम्मिलित होती थीं उत्तर वैदिक काल में भी विदुषी स्त्रियाँ हुई हैं जिनमें याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी परम विदुषी थीं।

बौद्धकाल में स्त्रियों की शैक्षिक दशा

- ❖ बौद्ध धर्म में स्त्रियों का स्थान पुरुषों से निम्नतर था। अतः सामान्य स्त्रियों की शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया गया।
- ❖ संघों में स्त्रियों का प्रवेश भिक्षुओं की आज्ञा पर निर्भर था क्योंकि भिक्षुओं को स्त्रियों से दूर रहने का उपदेश दिया जाता था, इसलिए उन्होंने बहुत ही कम स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने की आज्ञा दी।
- ❖ बौद्ध धर्म ने कुलीन और व्यावसायिक स्त्रियों की शिक्षा को जिनकी संख्या प्रायः नगण्य थी, प्रोत्साहन दिया पर सामान्य स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया।

डॉ0 ए0एस0 अल्तेकर के अनुसार–

स्त्री शिक्षा को बौद्ध धर्म से किसी प्रकार की प्रेरणा प्राप्त न हो सकी।

मुस्लिम काल में स्त्रियों की शैक्षिक दशा

❖ यद्यपि इस्लाम स्त्री शिक्षा का निषेध नहीं करता है, किन्तु मुस्लिम संस्कृति में पर्दा प्रथा का विशेष महत्व होने के कारण मुस्लिम काल में स्त्री शिक्षा का क्षेत्र अति सीमित था।

❖ प्रारम्भ में तो बालिकाओं को बालकों के समान विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो जाता था, किन्तु एक निश्चित आयु के बाद उन्हें घर की चहारदीवारी में बंद हो जाना पड़ता था।

❖ मुगल काल में राजकुमारियों की शिक्षा के प्रति विशेष रूप से ध्यान दिया गया वे बड़े होने पर व्यक्तिगत रूप से शिक्षा ग्रहण करती थी।

❖ मुगल काल में हमें ऐसी राजकुमारियों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने शिक्षा जगत में अपना नाम रोशन कर दिया।

- बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूँनामा की रचना की।
- हुमायूँ की भतीजी सलीमा सुल्तान ने फारसी भाषा में अनेक कविताओं का सृजन किया।
- नूरजहाँ, मुमताज महल, जहाँआरा बेगम एवं जेबुन्निसा अरबी एवं फारसी साहित्य में दक्ष थीं।

- ❖ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने स्त्री शिक्षा को अनावश्यक समझकर उसकी ओर रंचमात्र भी ध्यान नहीं दिया।
- ❖ इसका कारण यह था कि कम्पनी को अपने शासन काल में शिक्षित युवकों की आवश्यकता थी न कि युवतियों की।
- ❖ इसके अतिरिक्त स्त्री शिक्षा के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण अत्यधिक रूढ़िवादी थी।
- ❖ कम्पनी के शासनकाल में बालिका विद्यालयों की स्थापना मिशनरियों और सरकारी एवं गैर सरकारी मनुष्यों के व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप हुई।
- ❖ व्यक्तिगत प्रयासों के फलस्वरूप स्थापित किये जाने वाले बालिका विद्यालयों में सबसे प्रसिद्ध कलकत्ता का **बैथ्यून** स्कूल था।
- ❖ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरम्भ होने वाले पुनरुथान के कारण स्त्री शिक्षा की प्रभूत प्रगति हुई।
- ❖ विद्या प्रेमी **लार्ड कर्जन** ने स्त्री शिक्षा की पतित अवस्था से क्षुब्ध होकर उसका उत्थान करने का संकल्प किया।
- ❖ 1904 का **'शिक्षा सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव'** पारित करवा के स्त्री शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक धन व्यय किया।
- ❖ आदर्श बालिका–विद्यालयों की स्थापना की और अध्यापिका प्रशिक्षण का प्रावधान किया।

❖ 1913 के 'शिक्षा सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव' की सिफारिशों के फलस्वरूप स्त्री शिक्षा की प्रत्येक स्तर पर प्रगति हुई।

❖ ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी जैसी अनेक सुधारवादी सामाजिक संस्थाओं ने स्त्री शिक्षा के मार्ग को प्रशस्त किया।

❖ 1904 में श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने बनारस में 'सेन्ट्रल हिन्दू गर्ल्स स्कूल' का निर्माण किया।

❖ 1916 में कर्वे और भण्डारकर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप पूना में महिला विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ।

❖ 1916 में दिल्ली में महिलाओं के लिए लेडी हार्डिŒज मेडिकल कालेज की स्थापना हुई।

❖ सन् 1921 में बालिकाओं की कुल शिक्षा संस्थाएँ 26,144 थीं और उनमें अध्ययन करने वाली छात्राओं की संख्या 14 लाख से अधिक थीं।

❖ 1947 में स्त्री शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं की संख्या 28,196 थी और उनमें अध्ययन करने वाली बालिकाओं की संख्या 42,97,785 थी।

❖ आज भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में जाति, वर्ग, लिंग आदि का भेद किये बिना सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष।

- **"विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948)"** के ये ऐतिहासिक शब्द ध्यान देने योग्य है, कि स्त्री के बिना पुरूष हो ही नहीं सकता। यदि पुरूष और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिये ही सामान्य शिक्षा,

प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए क्योंकि तब तक शिक्षा स्वमेव अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जायेगी।

- स्त्री देश की संस्कृति, धर्म, साहित्य, कला व ज्ञान–विज्ञान का स्तम्भ होती है। उसे शिक्षित बनाकर उसकी सृजनात्मक क्रियाशीलताओं को प्रबुद्ध और समुचित बनाया जा सकता। शिक्षित स्त्री अपने विशेष प्रयास से मधुर पारिवारिक, सम्बन्धों का निर्माण करती है और ईंट पत्थर के घर को अपने प्रेम और आदर का अक्षय भण्डार बना देती है।

देसाई सी0डी0 (1976) ने गुजरात राज्य में लड़कियों की शैक्षिक एवं सामाजिक दशा का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया है–

(1) प्राचीन काल से आधुनिक काल तक गुजरात राज्य में लड़कियों की शिक्षा विकास को जानना।

(2) गुजरात राज्य में सामाजिक दशा जैसे– रीति–रिवाज, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नीतियाँ तथा अधिनियम विवाह प्रथा, जाति प्रथा आदि में हुए परिवर्तन को जानना।

(3) स्त्री शिक्षा के विकास पर उनके प्रभाव का अध्ययन करना।

प्रस्तुत अध्ययन का निष्कर्ष निम्नलिखित है–

1. प्राचीनकाल में स्त्रियों की स्थिति पुरूषों के समान थी।

2. तीसरी शताब्दी के आसपास आर्यों ने गैर–आर्यो की कन्याओं से विवाह करके उनके लिये वेदों के अध्ययन पर रोक लगा दी।

3. तेरहवीं शताब्दी में मुस्लिम शासन आने पर भारत में लड़कियों की शिक्षा समाप्त सी हो गयी।

4. सन् 1930 तक अंग्रेजी शासन काल में गुजरात में लड़कियों की आधुनिक प्रकार की प्राथमिक शिक्षा प्रारम्भ हुई।

5. तत्पश्चात राज्य सरकारों ने स्त्री शिक्षा का भार निजी प्रयासों पर डाल दिया। निजी प्रयासों ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया। किन्तु इसमें आशाजनक कार्य न हो सका।

6. सन् 1950–51 में गुजराती समाज में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। 6–11 वर्ष की आयु की दो लड़कियाँ प्रति 60 लड़कों में 11 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की लड़कियाँ प्रति 10 लड़कों में विद्यालय जाने लगी।

7. लड़कियों के विवाह की आयु 14 से 16 वर्ष हो गयी। किन्तु लड़कियों की शिक्षा का विस्तार स्वतंत्रता के पश्चात ही हुआ।

8. 1951 की अपेक्षा 1971 में स्त्री शिक्षा की प्रगति संख्या की दृष्टि से दोगुना हुई जबकि लड़कों की शिक्षा की प्रगति डेढ़ गुनी हुई तथा स्त्री शिक्षा की साक्षरता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई।

बरूआ ए0पी0 (1978) ने विवाहित स्त्रियों की शिक्षा के सम्बन्धित ने एक अध्ययन किया।

1. विवाहित स्त्रियों में शिक्षा के स्तर का पता लगाना।

2. विवाहित स्त्रियों का विवाह के बाद उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के कारण का अध्ययन किया।

3. विवाहित स्त्रियों के शिक्षा पाने के बाद उनके पति एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन किया।

अध्ययन की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं–

1. स्त्रियों के रोजगार के प्रति जागरूकता को तीन भागों में पाया गया (अ) शिक्षा व्यवस्था (ब) शिक्षा के अन्तर्गत अन्य व्यवसाय (स) शिक्षा के अतिरिक्त कोई अन्य व्यवसाय।

2. अधिकांश स्त्रियों ने विवाह के उपरान्त उच्च शिक्षा प्राप्त की थी।

3. इनमें से अधिकांश स्त्रियों ने रोजगारोन्मुख शिक्षा प्राप्त की थी, जैसे टाइपराटिंग, सिलाई, बुनाई, सम्बन्धी कार्य इन्होंने शिक्षण के बजाय रोजगार को प्राथमिकता प्रदान की।

4. स्त्रियों की शिक्षा का उनके दिन प्रतिदिन के सामाजिक कार्यो पर प्रभाव भी पड़ा।

एम0 अग्रवाल (1980) ने "हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियों की सामाजिक और सांस्कृतिक एवं शैक्षिक प्रभाव का अध्ययन किया। उनके अध्ययन का उद्देश्य

इस बात का विश्लेषण करना था कि किस प्रकार शिक्षा स्त्रियों के विचारों में सामाजिक संस्थाओं और कार्यो परम्पराओं के प्रति विचारों को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और आयु अन्तराल स्त्रियों की विचारधारा में कोई सार्थक प्रभाव नहीं डालता है।''

मोदी, (बी0एम0) (1981) ने ''सामाजिक आर्थिक स्थिति पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन किया। इनके अध्ययन का उद्‌देश्य प्राप्त करना था कि सामाजिक, आर्थिक स्थिति का निर्धारण शिक्षा से होता है। इनके अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक व्यक्ति की अच्छी स्थिति उसके शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति शिक्षित थे उनका विचार था कि शिक्षा से सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है।

मेहता, माध्वी तथा राज एम0के0 (1982) ने ''स्त्रियों की शिक्षा के सम्बन्ध में अध्ययन किया है।''

इस्लाम, एम0एन0 (1983) ने ''ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में एवं सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में अध्ययन किया है।''

उप्रेती, एच0सी0 और उप्रेती नन्दिनी (1985) ने ''भारत में महिला विचारों एवं उनकी शिक्षा के प्रति विचारों एवं सामाजिक विचार जैसे विवाह एवं दहेज के संदर्भ में अध्ययन किया है।''

क्रेज, मार्थन एम0 (1990) ने ''अपने अध्ययन में महिलाओं के शैक्षिक सुअवसरों में बढ़ती हुई भागीदारी एवं उनकी परिस्थिति का अध्ययन किया है।''

गेल्लागर बुनेगा (1990) ने "अपने अध्ययन में स्त्रियों की उच्च शिक्षा के संदर्भ में तथा स्त्रियों की सामाजिक स्थिति एवं पारिवारिक संरचना ने उनके प्रभावों का अध्ययन किया है।"

नीना (1990) ने "स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित अध्ययन किया और यह देखा कि शिक्षित स्त्रियों की परिस्थिति अच्छी नहीं है।"

अध्याय-तृतीय

3.1 अध्ययन विधि

3.2 अध्ययन के स्रोत

3.1 अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में ऐतिहासिक विधि का प्रयोग किया है। ऐतिहासिक विधि का प्रयोग इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं मनोविज्ञान आदि क्षेत्रों की समस्याओं के अध्ययन में किया जाता है।

ह्विटनी के अनुसार– "ऐतिहासिक अनुसंधान विगत या पूर्व अनुभवों को उसी ढंग से विश्लेषण करता है। इसका उद्देश्य भूतकालीन घटनाक्रम एवं तथ्यों के आधार पर सामाजिक समस्याओं का चिन्तन एवं विश्लेषण करना है जिनका समाधान नहीं मिल सका है।"

करलिंगर (1978) के अनुसार– "ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकास क्रमों तथा विगत अनुभूतियों का अध्ययन करना होता है।"

ऐतिहासिक विधि के उद्देश्य

1. ऐतिहासिक विधि का उद्देश्य अतीत की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना नहीं होता है बल्कि इसका उद्देश्य तथ्यों का विश्लेषण करके कुछ विचारधाओं के विकास का विश्लेषण करना होता है।
2. ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर कुछ विचारधारकों की खोज करता है और इनके आधार पर वर्तमान समस्याओं की व्याख्या करता है।
3. ऐतिहासिक विधि का मुख्य उद्देश्य समस्या के ऐतिहासिक महत्व को समझना है।

ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व

ऐतिहासिक अनुसंधान उस समय बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब कोई अनुसंधानकर्ता अपनी अनुसंधान समस्या का अध्ययन अतीत की घटनाओं के आधार पर करना चाहता है और यह जानना चाहता है कि समस्या का विकास किस प्रकार और क्यों हुआ है। सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में ऐतिहासिक विधि उपयोगी है।

इस प्रकार ऐतिहासिक अनुसंधान अतीत की घटनाओं, विकासक्रमों तथा विगत अनुभूतियों का अध्ययन है।

सर्वेक्षण अनुसंधान– प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्त्री ने वर्तमान समय की परिस्थितियों के सम्बन्ध में समस्या से सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण भी किया है। सर्वेक्षण अनुसंधान में निम्न स्थितियां होती हैं–

(अ) वर्तमान समय में स्त्री की शैक्षिक एवं सामाजिक स्थिति क्या है?

(ब) भविष्य में उसमें क्या सुधार किये जा सकते हैं?

(स) किस प्रकार के सुधार आवश्यक हैं?

3.2 अध्ययन के स्रोत

स्रोतों का वर्गीकरण निम्नलिखित है–

1. मुख्य स्रोत
2. गौण स्रोत

1. **मुख्य स्रोत**– मुख्य स्रोत के अन्तर्गत वे स्रोत आते हैं जो शोध विषय से सम्बन्धित स्थलों पर जाकर कुछ सामग्री व प्रत्यक्ष के रूप में प्राप्त किये जाते हैं वह मुख्य स्रोत के अन्तर्गत आते हैं।

2. **गौण स्रोत**– इसके अन्तर्गत प्रकाशित या अप्रकाशित डायरी, लेखपत्रों आदि के माध्यम से सामग्री प्राप्त की जाती है वे गौण स्रोत के अन्तर्गत आते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं–

    1. व्यक्तिगत
    2. सार्वजनिक

प्रस्तुत लघु शोध में शोधकर्त्री द्वारा अध्ययन के जिन गौण स्रोतों का प्रयोग किया गया है वे निम्नलिखित है–

- पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाला साहित्य
- पुस्तकें
- शोध प्रबन्ध
- महाविद्यालय प्रकाशन

4.1 भारतीय संविधान और शिक्षा

4.2 स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति

4.3 स्त्री शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझाव

4.1 भारतीय संविधान और शिक्षा

भारत का संविधान केवल वैधानिक उपबन्धों का संकलन मात्र नहीं है। अपितु इसमें राष्ट्र की आत्मा के दर्शन होते हैं। इसमें देश की जनता की आशायें, आकांक्षायें और उसके जीवन लक्ष्य की झांकी परिलक्षित होती हैं। भारतीय संविधान में अतीत की महत्ता वर्तमान का संघर्ष और भविष्य की उज्जवलता का संकेत प्राप्त होता है। संविधान तो एक प्रकार का साधन है साध्य तो देश की स्वतंत्रता समानता और सुरक्षा को अक्षुण रखते हुए प्रत्येक देशवासी को सामाजिक आर्थिक और न्याय प्रदान करता है जिससे देशवासियों का जीवन सुखी और समृद्धशाली बन सके। भारत के गणराज्य का आदर्श और उद्देश्य किस प्रकार का राष्ट्र निर्माण करना है इसका निर्देशन, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है।

भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार का उत्तरदायित्व है। हमारे देश के संविधान की रूपरेखा को निर्धारित करने में सभी वर्गो ने अपना योगदान प्रदान किया है, सभी वर्गो के हितों से सम्बन्धित प्रावधान मौलिक अधिकारों में सन्निहित कर दिये गये हैं। फिर भी अपेक्षित लाभ सामान्य जनता को न मिल सका और स्त्री शिक्षा का समुचित विकास न हो सका।

4.2 स्त्री शिक्षा की वर्तमान स्थिति

भारत का संविधान पुरूष और स्त्रियों दोनों के लिये नियुक्ति और व्यवसाय का समान अधिकार देता है। कुछ विशेष विधान स्त्रियों के सामाजिक,

शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्तर को ऊँचा उठाने हेतु हैं।

अनुच्छेद 15(1), 16(1) और 16(2) में उल्लिखित है, कि किसी भी नागरिक से लिंग आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।

स्वतंत्रता के साथ ही भारत सरकार ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार के कई प्रयास किये। सरकार ने स्त्रियों को शिक्षा के प्रति गंभीरतापूर्वक अभिप्रेरित करने के लिये महत्वपूर्ण प्रयास किये। पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। सरकार ने नारी उत्थान के लिये **"श्रीमती जयन्ती पटनायक"** की अध्यक्षता में **"नेशनल कमीशन आफ वूमैन"** की स्थापना की। स्त्रियों के उद्धार के लिये यह कमीशन एक अच्छा अस्त्र होगा ऐसी उम्मीद की गयी। **"नेशनल कमीशन की धारा 1990"** के अनुसार सरकार के लिये यह आवश्यक है कि वह स्त्रियों के संदर्भ में नयी नीतियों के निर्धारण के समय कमीशन से परामर्श ले। लोगों का ऐसा मत है कि इस पुरूष शासित समाज में स्त्रियों की सुरक्षा एवं उन सभी संवैधानिक एवं कानूनी पहलुओं का अध्ययन करता है जो स्त्रियों की सुरक्षा के लिये उत्तरदायी या उपयोगी है।

स्त्री शिक्षा की प्रगति का अध्ययन नीचे दी गयी तालिका से किया जा सकता है--

सम्पूर्ण भारतीय साक्षरता दर (%) में

वर्ष	पुरूष	स्त्री	कुल साक्षरता
1901	9.8	0.6	5.3
1911	10.6	1.1	5.9
1921	12.62	1.8	7.2
1931	15.6	2.9	9.5
1941	24.9	7.3	16.1
1951	24.9	7.9	16.7
1961	34.4	13.0	24.0
1971	39.5	18.7	29.5
1981	46.9	24.8	36.2
1991	63.86	39.42	52.11
2001	75.26	53.67	65.38
2011	82.14	65.46	74.04

स्रोतः प्रस्तुत सारणी को शोधकर्त्री द्वारा इन्टरनेट से प्राप्त किया गया है। इसमें प्रत्येक 10 वर्ष में होने वाली जनगणना से प्राप्त शैक्षिक दर (% में) के आँकड़ों को दर्शाया गया है।

साक्षरता के बारे ताजा आँकड़ें 2011 जनगणना से प्राप्त हुए हैं जो कि काफी उत्साहवर्धक हैं। वर्ष 2001 में भारत में कुल साक्षरता दर 65.38 थी जो वर्ष 2011 में बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई अर्थात् जहाँ पहले दो–तिहाई से कम आबादी साक्षर थी वहीं अब लगभग तीन चौथाई आबादी साक्षर है। पहले साक्षर पुरूषों का प्रतिशत 75.26 था और साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत 53.67 किन्तु 2011 में साक्षर पुरूषों का प्रतिशत 82.14 और साक्षर स्त्रियों का

प्रतिशत 65.46 है, अर्थात् पिछले एक दशक में पुरूष साक्षरता दर में मात्र सात प्रतिशत बिन्दु की वृद्धि हुई जबकि स्त्री साक्षरता में इस दौरान 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। दूसरे शब्दों में वर्ष 2001 में 33.65 करोड़ पुरूष साक्षर थे और 22.41 करोड़ महिलाएं साक्षर थी जबकि 2011 में 44.42 करोड़ पुरूष साक्षर है और 33.42 करोड़ स्त्रियाँ साक्षर हैं। इस प्रकार वर्ष 2001–11 के दौरान कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या 56.07 करोड़ से बढ़कर 77.84 करोड़ हो गयी। इस प्रकार इस दौरान अतिरिक्त साक्षर 21.77 करोड़ व्यक्तियों में से 11.01 करोड़ महिलाएं और 10.76 करोड़ पुरूष।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि कुछ वर्षों में स्त्रियों की शिक्षा की दशा में काफी सुधार हुआ है इस स्थिति में स्त्रियों की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्त्रियों ने एक नयी सामाजिक स्थिति प्राप्त की है। आज स्त्रियाँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं स्त्रियाँ अपने जीवन में शिक्षा के द्वारा यह सब कार्य कर सकती है। अतः यह कहा जा सकता है कि समाज में स्त्रियों का स्थान ऊँचा उठाने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आधुनिक काल में स्त्री शिक्षा की महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा स्त्रियों के विचारों में काफी बदलाव आया है।

4.2 स्त्री शिक्षा के संदर्भ में विभिन्न आयोगों एवं समितियों के सुझाव

विभिन्न आयोगों एवं समितियों ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं।

1. वुड का घोषणा पत्र (1854)
2. हन्टर आयोग (1882–83)

3 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन 1917)

4. हर्टांग समिति (1929)

5. राधाकृष्ण आयोग (1948–49)

6. राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958)

7. राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1959)

8. हंसा मेहता समिति (1962)

9. भक्तवत्सलम् समिति (1963)

10. कोठारी आयोग (1964)

11. राष्ट्रीय शिक्षा (1970)

12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

13. प्रो0 राममूर्ति समिति (1991)

14. राष्ट्रीय महिला आयोग (1992)

1. वुड का घोषणा पत्र (1854)–

घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इस सम्बन्ध में दान आदि के द्वारा सहायता देने वाले व्यक्तियों की सराहना की गई है। घोषणा पत्र में इस बात पर बल दिया गया है कि स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में उदारपूर्ण नीति का अनुसरण किया जाय और लोगों को इस पवित्र कार्य के लिये प्रोत्साहित किया जाय। यह भी कहा गया है कि स्त्री शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाय। कम्पनी के सहायक गवर्नर जनरल की इस घोषणा से संतुष्ट एवं मैत्रीपूर्ण सहायता प्राप्त हो। इस सम्बन्ध में घोषणा पत्र में लिखा है–

The importance of female education in India cannot be overrated. We cannot refrain from expressing cordial sympathy with the efforts which are being made in this direction. Our Governor-General has declared that the Government ought to give to the native female education in India its franks and cardinal support and in this heartily concur.

इसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन नव–निर्मित शिक्षा विभागों द्वारा अनेक स्थानों में बालिकाओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई।

1870 में इंग्लैण्ड की समाज सेविका **कु0 मुरी कारपेन्टर** भारत आयी और उनके प्रयत्नों से स्त्री शिक्षा के आन्दोलन को और बल मिला।

सन् 1877 में **कलकत्ता विश्वविद्यालय** ने बालिकाओं को मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा उपेक्षित स्त्री शिक्षा में प्रगति आरम्भ हुई।

2. **हन्टर आयोग–** इस आयोग ने तत्कालीन स्त्री शिक्षा की दयनीय दशा से द्रवति होकर, जोरदार शब्दों में यह सिफारिश की–

स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है।

'कमीशन' के विचारों ने न केवल सरकार को वरन् जनता को भी स्त्री शिक्षा का प्रसार करने की प्रेरणा प्रदान की।

एस0एन0 मुकर्जी के अनुसार– जनता एवं सरकार के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप बालिकाओं की शिक्षा अति द्रुत गति से प्रगति हुई और 1902 में

सब प्रकार की बालिका–शिक्षालयों की संख्या 6,107 हो गई।

अतः स्त्री शिक्षा की उन्नति के लिये आयोग ने अग्रांकित सिफारिशें की।

1. बालिका विद्यालयों को उदार आर्थिक सहायता दी जाये।
2. बालिका विद्यालयों के निरीक्षण के लिये निरीक्षकाओं की नियुक्ति की जाये।
3. बालिकाओं के लिये निःशुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति के प्राथमिक विद्यालयों के लिये सुगम पाठ्यक्रम का निर्माण हो।
4. पर्दे में रहने वाली बालिकाओं के लिये उनके घरों पर शिक्षा देने के लिये अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये।
5. बालिकाओं को शिक्षा व्यवसाय के प्रति आकृष्ट करने के लिये बालिका प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना हो।
6. विधवा महिलाओं को शिक्षिका बनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
7. माध्यमिक शिक्षा स्थानीय मांग के आधार पर की जाए।
8. छात्राओं के लिये छात्रावासों की व्यवस्था की जाये।
9. बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालयों को प्रबन्ध स्थानीय संस्थानों को देना चाहिए यदि संस्थाएं कार्य करने को तैयार न हों तो सरकार को प्रबन्ध करना चाहिए।
10. बालिका–विद्यालयों को आनुपातिक रूप से अधिक आर्थिक सहायता दी जाये तथा सहायता अनुदान नियम सरल किये जाए।

3. **कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन 1917)–**

1. 15 या 16 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों की शिक्षा के लिये "पर्दा स्कूल" स्थापित किये जाए।

2. कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिला शिक्षा के लिये विशेष बोर्ड **"स्पेशल बोर्ड ऑफ वोमेन्स एजूकेशन"** बनाये जाए जिससे स्त्रियों के लिये उपयोगी पाठ्यक्रम निर्धारित करने का अधिकार हो।

3. यह महिला शिक्षा बोर्ड महिला कालेजों में अध्यापिका प्रशिक्षण तथा चिकित्सा शिक्षा का प्रबन्ध करें।

4. शिक्षा विषय को बी0ए0 तथा इण्टर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने तथा विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की सिफारिशें की जायें।

5. सह–शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाये।

4. **हर्टांग समिति (1929)–** हर्टांग समिति फिलिप हर्टांग की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई इस समिति ने स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये।

1. बालिकाओं का पाठ्यक्रम उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाए।

2. अधिक से अधिक संख्या में अध्यापिका तथा निरीक्षकाओं को पर्याप्त वेतन पर नियुक्त किया जाए।

3. अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

4. बालिकाओं के स्कूल में अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या रोकने का पूरा प्रयत्न किया जाए।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा की अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाए।

6. बालिकाओं के लिये हाईस्कूल स्तर पर बालकों से भिन्न पाठ्यक्रम हों। इसमें गृह विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा, संगीत आदि विषयों को सम्मिलित किया जाये।

7. प्रत्येक प्रान्त में एक सुशिक्षित तथा अनुभवी महिला अधिकारी की नियुक्ति की जाये जो कि स्त्री–शिक्षा के विस्तार के लिए योजना बनाए।

8. प्रायः बालिकाओं को शिक्षा प्रापत करने में सामाजिक एवं आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः उनके लिए धीरे–2 शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाये।

9. हाईस्कूल में बालिकाओं के लिए बालकों से भिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाय।

10. स्त्रियों को व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाय।

11. ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं को अधिक वेतन एवं सुविधायें प्रदान की जाये।

5. राधाकृष्णनन आयोग (1948–49)

भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1948 में डा0 **"सर्वपल्ली राधाकृष्णन"** की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की गयी। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बालक एवं बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा माता के संरक्षण में होती है। एक शिक्षित माता अपने बच्चों के लिये चरित्र एवं बुद्धि दोनों के विषय में उत्तम अध्यापिका होती है। स्त्री शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए आयोग ने कहा **"शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते।"** यदि सामान्य शिक्षा पुरूषों तथा स्त्रियों तक ही सीमित रखनी हो तो अवसर स्त्रियों को ही दिया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी दशा में शिक्षा निश्चित रूप में आगामी पीढ़ी को हस्तान्तरित की जा सकेगी।

आयोग ने स्त्री शिक्षा के विषय में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये–

1. स्त्रियों को रूचिपूर्ण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण जीवन के लिये तथा नागरिकता की शिक्षा के लिये पुरूषों के समान सुशिक्षा की सुविधाएं होनी चाहिए।
2. बालिकाओं को ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे वे सुजाता और सुगृहणी हो सके।
3. बालिकाओं की शिक्षा का विस्तार किया जाये।
4. बालिकाओं व बालकों की अनेक बातों में समानता हो सकती है। लेकिन सभी बातों में समानता नहीं हो सकती।

5. सह–शिक्षा संस्थाओं में पुरूषों पर स्त्रियों के प्रति शिष्ट व्यवहार और सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करने का भार सौंपा जाये।

6. गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र और गृह प्रबन्ध के अध्ययन के लिये बालिकाओं को प्रेरित किया जाये।

7. अध्यापिकाओं को समान कार्य के लिये अध्यापकों के बराबर ही वेतन दिया जाए।

8. बालिकाओं को अपने हितों के अनुकूल शिक्षा प्राप्त करने में योग्य पुरूषों व स्त्रियों द्वारा परामर्श दिया जाए।

9. ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाये जो बालिकाओं को समाज में स्थान दिला सके।

10. स्नातक स्तर पर सह शिक्षा देने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए।

6. **राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति (1958)**– भारत सरकार ने सन् 1958 में स्त्री शिक्षा पर विचार करने तथा उसकी विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिये "श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख" की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की नियुक्ति की थी। समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और उसमें निम्नांकित सुझाव दिये–

1. केन्द्रीय सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिये विशिष्ट समस्या के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसके प्रसार का भार अपने ऊपर लेना चाहिए।

2. केन्द्रीय सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का विकास एवं विस्तार करना चाहिए।

3. केन्द्रीय सरकार को सब राज्यों के लिये स्त्री–शिक्षा के विस्तार की नीति निर्धारित करनी चाहिए और उनको इस नीति का अनुसरण करने के लिये पर्याप्त धन देना चाहिए।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिये विशेष प्रयास किये जाने चाहिए और केन्द्रीय सरकार को प्रसार सम्बन्धी व्यय का भार अपने ऊपर ले लेना चाहिए।

5. पुरूषों और स्त्रियों की शिक्षा में विद्यमान विषमता को यथाशीघ्र समाप्त करके दोनों की शिक्षा में समानता स्थापित करनी चाहिए।

6. केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिये **"राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद"** का निर्माण करना चाहिए।

7. राज्यों में स्त्री शिक्षा का प्रसार करने के लिये "बालिका एवं स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों" का निर्माण किया जाना चाहिए।

8. प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं को शिक्षा की अधिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

7. **राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद– "देशमुख समिति"** की सिफारिश को स्वीकार करके केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1959 में **"राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद"** का निर्माण किया गया। 1964 में इसका पुर्नगठन किया गया। इसके मुख्य कार्य अद्योलिखित हैं–

1. बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लक्ष्यों, नीतियों, कार्यक्रमों एवं प्राथमिकताओं के विषय में सुझाव देना।

2. विद्यालय स्तर पर बालिकाओं और प्रौढ़ स्त्रियों की शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर सरकार को परामर्श देना।

3. शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिये उपायों का सुझाव देना।

4. बालिकाओं एवं स्त्रियों की शिक्षा के पक्ष में जनमत का निर्माण करने के लिये उचित उपायों का सुझाव देना।

5. स्त्री शिक्षा के क्षेत्रों में होने वाली प्रगति का समय–समय पर मूल्यांकन करना और भावी कार्यक्रम की प्रगति पर दृष्टि रखना।

6. स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिये समय–समय पर आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं विचार गोष्ठियों का आयोजन किये जाने की सिफारिश करना।

8. **हंसा मेहता समिति (1962)**– हंसा मेहता ने बालिका शिक्षा के प्रसार के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये–

1. 14 वर्ष तक बालिकाओं के लिये अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाये एवं विज्ञान मुख्य विषय हो।

2. प्राथमिक स्तर पर बालक व बालिकाओं के पाठ्यक्रम में कोई अन्तर न रखा जाये।

3. मिडिल स्तर पर ऐच्छिक विषयों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कला सिखाने की व्यवस्था हो।

4. माध्यमिक स्तर पर ऐच्छिक विषय पढ़ाने के लिये स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाये।

5. अलग–अलग विषयों के लिये अध्यापिकाओं को रखा जाय।

6. पाठ्यक्रम आश्यकताओं व अनुभवों और समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाये।

7. व्यवसायिक शिक्षा समिति के लिये प्रोत्साहन तथा व्यवसायिक शिक्षा संस्थाएं स्थापित की जाए।

9. **भक्त वत्सलम समिति (1963)**– इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं–

1. प्राथमिक स्तर पर पृथक–पृथक विद्यालय खोलना अत्यन्त व्यय साध्य है। अतः प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा को लोकप्रिय बनाया जाये।

2. स्त्री शिक्षा की पर्याप्त प्रगति न होने का कारण यह है कि विद्यालय में महिला अध्यापिका नहीं है। अतः स्त्रियों को अध्यापन व्यवसाय की ओर आकृष्ट किया जाये।

3. लड़कियों की शिक्षा के प्रति जो सामाजिक मान्यतायें फैली हुई हैं, उन्हें तोड़ा जाये।

4. निर्धन छात्रों को विद्यालयों की यूनिफार्म तथा पाठ्य पुस्तकें आदि भी दी जायें।

9. जिन राज्यों में स्त्री शिक्षा बहुत पिछड़ी हुई है, उन्हें केन्द्र सरकार विभिन्न स्तरों की शिक्षा हेतु शत–प्रतिशत सहायता दें।

10. **कोठारी आयोग (1964–66)**– कोठारी आयोग ने स्त्री शिक्षा के समस्त पक्षों के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं–

(अ) **प्राथमिक शिक्षा – "कोठारी कमीशन"** ने बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

1. भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बालिकाओं की अनिवार्य शिक्षा का प्रसार करने के लिये विशेष प्रयास किये जायें।
2. बालिकाओं का बालकों के प्राथमिक विद्यालयों में भेजने के लिये जनमत का निर्माण किया जाये।
3. उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये पृथक विद्यालयों की स्थापना करने का प्रयत्न किया जाए।
4. बालिकाओं को मुफ्त पुस्तकें, सामग्री एवं वस्त्र देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जाये।
5. 11–13 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिये अल्प कालीन शिक्षा की व्यवस्था की जाये।

(ब) **माध्यमिक शिक्षा– "कोठारी कमीशन"** ने बालिकाओं की माध्यमिक शिक्षा के विषय में निम्नांकित विचार प्रकट किये हैं–

1. बालिकाओं के लिये पृथक विद्यालयों की स्थापना की जाए जहाँ यह संभव नहीं है वहाँ के विद्यालयों में कुछ अध्यापिकाओं की अनिवार्य रूप से नियुक्ति की जाये।

2. बालिकाओं को छात्रावास एवं यातायात के साधनों की सुविधाएं प्रदान की जाए।

3. बालिकाओं के लिये छात्रवृत्तियों और अल्पकालीन एवं व्यवसायिक शिक्षा की योजनाएं आरम्भ की जायें।

(स) **उच्च शिक्षा– "कोठारी कमीशन"** ने बालिकाओं की उच्च शिक्षा के बारे में अंग्राकित सुझाव प्रस्तुत किये हैं–

1. छात्रवृत्तियों एवं मितव्ययी छात्राओं की व्यवस्था करके बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जाए।

2. बालिकाओं के लिये पूर्व स्नातक स्तर पर प्रौद्योगिकी, मानवशास्त्र आदि पाठ्य विधियों में से चयन करने की स्वतंत्रता दी जाये।

3. शिक्षा गृह विज्ञान एवं सामाजिक कार्य के पाठ्य विषय को विकसित करके उनको बालिकाओं के लिये अधिक आकर्षित बनाया जाये।

4. बालिकाओं को कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानवशास्त्र आदि पाठ्यविधियों की चयन की स्वतंत्रता दी जाये।

5. बालिकाओं को व्यवसायिक प्रबन्ध एवं प्रशासन की उच्च शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाये।

6. एक या दो विश्वविद्यालयों में स्त्री शिक्षा की समस्याओं का समाधान खोजने के लिये अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाये।

(द) **सामान्य सुझाव–** कोठारी कमीशन ने स्त्रियों एवं बालिकाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ सामान्य सुझाव भी दिये हैं, जो निम्नलिखित हैं–

1. स्त्री शिक्षा के मार्ग की समस्त बाधाओं को दूर करने के लिये ठोस और निश्चित कदम उठाये जायें।

2. स्त्रियों व पुरूषों की शिक्षा के बीच में जो खाई हैं उसे यथाशीघ्र समाप्त करने के लिये विशेष योजना बनाई जाये।

3. केन्द्रीय व राज्य स्तर पर शिक्षा की देखभाल करने के लिये प्रशासकीय संगठनों का सृजन किया जाये।

4. स्त्रियों के लिये रोजगार की व्यवस्था की जाये।

11. **राष्ट्रीय शिक्षा समिति (1970)**– राष्ट्रीय शिक्षा समिति के स्त्री शिक्षा सम्बन्धी सुझाव निम्नलिखित हैं–

1. बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाये।

2. बालिका शिक्षा के प्रसार के लिये योग्य अध्यापिकाओं जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की इच्छुक हों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की जाये।

3. बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के बीच विद्यमान भेद का कम से कम समय में दूर किया जाये।

4. सरकार को बालिका विद्यालयों को समस्त सुविधायें देने का प्रयत्न करना चाहिए।

12. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)**– राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में निम्नलिखित उपाय सुझाये गये हैं–

1. बालिकाओं की शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण करना चाहिए।

2. औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा की सुविधायें बढ़ाना।

3. वर्तमान कार्यक्रमों का विस्तार एवं अनेक सहायता कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया जाये। जिससे बालिकाओं का स्तर बढ़ाया जा सके।
4. आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अनुपूरक पाठ्यक्रम तैयार करना।
5. महिलाओं को समर्थ बनाने के लिये सकारात्मक हस्तक्षेपकारी भूमिका की योजना के लिये समूची शिक्षा प्रणाली को तैयार करना।
6. व्यवसायिक, तकनीकी, वृतिक शिक्षा तथा विद्यमान और उभरती प्रौद्योगिकी में महिलाओं के प्रवेश को बढ़ाना।
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्धारित किये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये गतिशील प्रबन्धकीय ढांचे का निर्माण करना।
8. निरक्षर स्त्रियों के लिये युद्ध स्तर पर कार्य करके निरक्षरता दूर करने के उपाय किये जाये जिसमें स्वयंसेवी संगठन, सम्पूर्ण मानवशक्ति का सहयोग लिया जाये।

13. **प्रो० राममूर्ति समिति (1991)**– इस समिति के निम्नलिखित सुझाव हैं–

1. छात्राओं को विद्यालय पहुँचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाय।
2. अध्यापिकाओं की अधिक से अधिक नियुक्ति की जाए।
3. विद्यालयों में पोषण, स्वास्थ्य एवं बाल विकास का समावेश किया जाये।
4. विभिन्न स्तरों पर महिला अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की जाए।
5. महिला शिक्षा के लिये अलग से धन का प्रावधान किया जाये।

6. छात्राओं को आवासीय सुविधायें प्रदान की जाये इसके लिए छात्रावासों की स्थापना की जाये।

7. महिला पालीटेक्निक की स्थापना हो।

8. योग्य छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाये।

14. राष्ट्रीय महिला आयोग (31 जनवरी 1992)– 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया। यह आयोग 31 जनवरी 1992 को गठित किया गया। इसमें एक सदस्य, एक सचिव, पांच पूर्णकालिक सदस्य हैं। इस आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं–

1. महिलाओं को कानूनी सुरक्षायें प्रदान की गयी हैं उन्हें कारगर ढंग से लागू करने के उपाय सुझाना।

2. महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों में कभी अपर्याप्त या त्रुटि पर संसाधनों के भी सुझाव देना।

3. महिलाओं की शिकायतों पर ध्यान देना एवं जहाँ कानूनों का उल्लंघन होता है समस्याओं से सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुँचना।

4. महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक विकास के लिये योजनायें बनाने की प्रक्रिया में भाग लेना।

5. सुधार ग्रहों जेलखानों व अन्य स्थानों पर उनके पुर्नवास तथा दशा सुधारने के लिये सिफारिशें करना।

मार्च 1993 में "इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिये महिला परिप्रेक्ष्य" पर गोष्ठी हुई जिसमें समाचार पत्रों व मुद्रित सामग्री के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

4.3 पंचवर्षीय योजनाओं में स्त्री शिक्षा की प्रगति

प्रथम पंचवर्षीय योजना–

योजना आयोग द्वारा इस योजना में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किये गये उसके परिणाम स्वरूप स्कूल जाने वाली 6–11 वर्ष की बालिकाओं की संख्या का प्रतिशत वर्ष 1955–56 में 40 प्रतिशत तक पहुँच गया। जो कि वर्ष 1950–51 में मात्र 23.3 प्रतिशत ही था। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत 1955–56 में 10 हो गया। सामाजिक शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षा ग्रहण करने वाली 14–40 आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या का प्रतिशत लगभग 10 पहुंच गया।

वर्ष 1954–55 में प्राथमिक और मिडिल स्तर पर लड़कियों की संख्या 28.2 प्रतिशत हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्ड्री स्तर पर 16 प्रतिशत और महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर 13.6 प्रतिशत हो गया।

इस अवधि में बालिका शिक्षा संस्थाओं की संख्या 16814 से 18671 हो गयी। प्राथमिक विद्यालयों की सख्या 1955–56 में 13901 से बढ़कर 2337 हो गयी। इस प्रकार सामान्य शिक्षा प्रदान करने वाले बालिका विद्यालयों की संख्या वर्ष 1955–56 में 19361 हो गयी। बालिकाओं के कला तथा विज्ञान विद्यालयों की संख्या वर्ष 1951 में 69 थी तथा 1956 में 104 तक पहुँच गयी।

व्यवसायिक विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन वर्ष 1950–51 में 4668 था जो कि 1955–56 में बढ़कर 9218 हो गया। इस प्रकार बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत 97.4 तक पहुंच गया जबकि वर्ष 1950–51 में यह 63.3 प्रतिशत था। प्रशिक्षण विद्यालयों में बालिकाओं का नामांकन वर्ष 1951 में

40888 था जो कि 1956 में बढ़कर 62938 हो गया। जो कि लगभग 53.9 प्रतिशत था।

वर्ष 1954 में जब यू0जी0सी0 बिल संसद में पेश किया गया तो श्री सी0आर0 नरसिस– मिस जयश्री तथा श्री डी0सी0 शर्मा ने महिलाओं को भी पुरूषों के समान ही शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुरूषों के समान ही स्त्रियों को भी महाविद्यालयों में प्रवेश, शिक्षकों की भर्ती आदि समस्त पहलुओं पर समान रूप से नामित किया जाना चाहिए। चूँकि भारत में अधिकांश स्त्रियों को किशोरावस्था में अपनी शिक्षा रोक देनी पड़ती है, अतः वैयक्तिक रूप से उच्च परीक्षायें पास करने के अवसर प्रदान किये गये । इस योजना में यह भी प्रावधान किया गया कि माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा इस प्रकार हो कि वह स्त्रियों को किसी गृह उद्योग या हस्तशिल्प की शिक्षा दे सके।

स्त्रियों को भी पुरूषों के समान विभिन्न समितियों तथा आयोगों में जैसे– एन0सी0आर0टी0, यू0जी0सी0 आदि में नामित किया जाना चाहिए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना–

इस योजना में लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया तथा ऐसी शिक्षा का प्रारूप तैयार किया गया जो स्त्रियों के दैनिक कामकाज से अधिक सम्बन्धित हो। इस योजना में महिला शिक्षकों को शिक्षक प्रशिक्षण हेतु विशेष व्यवस्था की गयी। क्योंकि महिला शिक्षक के अभाव में शिक्षा का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था। इस योजना में महिलाओं को गांव में रहने के लिये मकान आदि की सुविधायें उपलब्ध कराये

जाने पर विशेष ध्यान दिया गया। महिलाओं को अतिरिक्त विशेष सुविधायें प्रदान किये जाने के उद्देश्य से इस योजना में महिलाओं की विशेष रूचि के विषयों का समावेश किया गया जैसे– गृह विज्ञान, संगीत, कला, चित्रकला, नर्सिंग इत्यादि।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित अनुदान प्रदान किये गये।

1. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों के लिये निःशुल्क आवासीय व्यवस्था।
2. स्कूलों में आया (स्कूल मदर) की नियुक्ति हेतु।
3. प्रौढ़ महिलाओं हेतु कन्डेन्स कोर्स की व्यवस्था।
4. शिक्षण प्रशिक्षण हेतु महिला शिक्षकों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
5. रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था करना।

इसके परिणामस्वरूप इस अवधि में निर्धारित लक्ष्य से अधिक सीमा तक बालिकाओं का नामांकन पहुंच गया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया तथा इण्डो यूनाइटेड स्टेट टेक्निकल कारपोरेशन प्रोग्राम द्वारा शिक्षा प्रदान की गयी।

वर्ष 1957–58 में बालिकाओं विद्यालयों तथा बालिकाओं के विद्यालयों (सह–शिक्षा) में अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या लगभग 106.75 लाख थी वर्ष 1957–58 में बालिकाओं का नामांकन 28.1 प्रतिशत तक पहुँच गया तथा बालिका विद्यालय की संख्या 27666 हो गयी।

इस अवधि में विभिन्न प्रकार की महिला शिक्षक संस्थाओं की संख्या निम्न प्रकार से दृष्टिगोचर हुई।

1.	शोध संस्थायें	–	01
2.	कला तथा विज्ञान महाविद्यालय	–	122
3.	प्रशिक्षण महाविद्यालय	–	64
4.	विशेष	–	17
5.	प्राइमरी स्कूल	–	16433
6.	प्री–प्राइमरी स्कूल	–	299
7.	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र	–	5083
8.	व्यवसायिक एवं तकनीकी विद्यालय	–	720
9.	विशेष शिक्षा विद्यालय	–	163

इन शिक्षण संस्थाओं पर खर्च होने वाली कुल धनराशि रू0 2385, 56375 थी। स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित समस्याओं का सरकार को परामर्श व सुझाव देने के लिए **'राष्ट्रीय महिला शिल्प परिषद'** की स्थाना की गई।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

इस योजना में विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की बढ़ती हुई आवश्यकता पर गंभीर रूप से विचार किया गया तथा उन्हें उपलब्ध सुविधाओं को और अधिक किये जाने पर बल दिया गया। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1965–66 में स्त्री शिक्षा का प्रतिशत 21 तक पहुंच गया। जोकि वर्ष 1960–61 में 17 प्रतिशत वर्ष 1955–56 में मात्र 13 प्रतिशत था।

द्वितीय योजना में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला महाविद्यालय

तथा महिला छात्रावासों हेतु विशेष अनुदान प्रदान किया था जो इस योजना में भी चालू रखा गया। महिलाओं को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पुनः विशेष छात्रवृत्तियाँ प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी।

यद्यपि दो पंचवर्षीय योजनाओं में कक्षा 9 से कक्षा 11 तक में छात्राओं का नामांकन 2,00,000 से बढ़कर 5,20,000 तक पहुँच गया परन्तु यह संख्या अत्यन्त कम थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसमें 100 प्रतिशत का वृद्धि पर बल दिया गया। इस अवधि में 14–17 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत 6.9 था जबकि कुल नामांकन का प्रतिशत 15.6 था।

इस योजना तक बालकों के नामांकन की संख्या 13,70,000 तथा बालिकाओं की नामांकन संख्या 9,12,000 थी जो कि बालकों की संख्या का चौथाई थी। इस प्रकार वर्ष 1960–61 में बालकों के नामांकन का प्रतिशत लगभग 40 तथा बालिकाओं का प्रतिशत 67 था।

इस योजना में लगभग 600 पाठ्यक्रम पौढ़ महिलाओं के लिये स्वीकृत किये गये। स्त्री शिक्षा के लिये वर्ष 1962 में हंसा मेहता समिति की नियुक्ति की गयी जिसका मुख्य उद्देश्य स्त्री शिक्षा में वृहद सुधार करना था।

केन्द्रीय सरकार के परामर्श के अनुसार प्रत्यक राज्य के शिक्षा विभाग में बालिकाओं एवं महिलाओं के शिक्षा संबंधित कार्यक्रमों का निर्माण करने और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु एक 'उप निदेशक' अथवा संयुक्त निदेशक की नियुक्ति की गई। इस बात का प्रयास किया गया कि बालिकाओं में हॉकी, फुटबाल, क्रिकेट, बालीवाल आदि आधुनिक खेलों में रूचि उत्पन्न की जाये।

चौथी पंचवर्षीय योजना

प्रथम तीन योजनाओं में यद्यपि बालिकाओं की शिक्षा सुविधाओं में पर्याप्त विस्तार करने के प्रयास किये गये किन्तु बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा में पर्याप्त दूरी बनी रही। विद्यालय स्तर पर इस दूरी को कम करने हेतु चतुर्थ योजना में कुछ उपाय किये गये जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

(i) अध्यापिकाओं के आवास की व्यवस्था।

(ii) बालिकाओं के लिए छात्रावास का निर्माण।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाली अध्यापिकाओं के लिए विशेष भत्ता की व्यवस्था।

(iv) विद्यालय माताओं की नियुक्ति।

(v) अध्यापिकाओं के अभाव की पूर्ति हेतु वयस्क बालिकाओं के लाभार्थ संक्षिप्त पाठ्यक्रमों का संचालन आदि।

वर्ष 1950 में कक्षा 1 से 5 तक की लड़कियों का नामांकन प्रतिशत 25 था जो वर्ष 1968–69 में बढ़कर 59 हो गया। इसी तरह कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत छात्राओं का प्रतिशत 5 से 20 तथा कक्षा 10 से 11 में 2 से 10 प्रतिशत तक पहुंच गया। परन्तु यह प्रगति बालकों के शैक्षिक प्रतिशत से बहुत कम थी।

बालिकाओं के लिये विशेष प्रोत्साहन प्रोग्राम के अन्तर्गत उन्हें विशेष रूप से शिक्षा दिये जाने हेतु सतत् प्रयास करने के लिये सुझाव एवं सिफारिशें प्रस्तुत की गयी। चतुर्थ योजना के अन्तर्गत नामांकन 637 लाख बढ़ा जिसमें

393 लाख लड़के तथा 244 लाख लड़कियां शामिल थीं। वर्ष 1968–69 में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का नामांकन 16.3 लाख था जबकि बालकों का नामांकन 49.5 लाख था। इस प्रकार इस स्तर पर 14–17 वर्ष की लड़कियों का नामांकन प्रतिशत कुल बालिकाओं की जनसंख्या का 9.8 प्रतिशत था। वर्ष 1966–67 से 1973–74 तक उच्च शिक्षा स्तर पर बालिकाओं के नामांकन में लगातार वृद्धि हुई। इस स्तर पर बालिकाओं का नामांकन वर्ष 1973–74 तक 32.4 हो गया था। जबकि वर्ष 1966–67 में मात्र 21.5 प्रतिशत ही था। प्रतिशत संकायों में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हुई जबकि सामान्य शिक्षा में नामांकन की दर में गिरावट आयी।

कला संकाय में महिलाओं का नामांकन प्रतिशत 1974–75 में 63.3 प्रतिशत था जो कि वर्ष 1983–84 में 28.4 हो गया। तथा 1987–88 में बढ़कर 36.4 हो गया था। व्यवसायिक संकायों में प्रमुखता छात्राओं ने कामर्स, कानून तथा संगीत आदि विषयों में अधिक रूचि दिखलाई जबकि विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, कृषि, पशु, चिकित्सा आदि में बहुत कम छात्राओं ने रूचि दिखलाई।

पंचम पंचवर्षीय योजना–

इस योजना में 14 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। तथा राज्य सरकारों को भी इस दिशा में समुचित कदम उठाने के लिये कहा गया। जिसके फलस्वरूप सभी राज्यों ने 6–11 आयु वर्ग की बालिकाओं के लिये निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की।

बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार की योजनायें सरकार द्वारा लागू की गयी। परन्तु उनकी पूर्ण जानकारी न होने के कारण यह पूर्णतः इसे गति देने में असफल सिद्ध हुई। वर्ष 1978–79 में 6–14 वर्ष के आयु के नामांकन न कराने वाली लड़कियों की संख्या 66 प्रतिशत थी।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय समिति ने 1974 में अपनी तेरहवीं बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की।

1. केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों तथा स्वास्थ्य सेवा संस्थानों को अनुदान के रूप में स्त्री के विकास हेतु विशेष धनराशि प्रदान की जाए।
2. लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हेतु विशेष सुविधायें उपलब्ध करायी जाये।
3. महिलाओं को शिक्षण प्रशिक्षण कन्डेन्स कोर्स के द्वारा प्रदान किया जाय।
4. स्थानीय महिलाओं को शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया जाए।
5. ऐसी बालिकाओं के लिये जो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती है ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए जिससे वे अनौपचारिक शिक्षा के रूप में गृहण कर सकें।
6. महिला औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र तथा महिला पालीटेक्निक स्थापित करना ताकि स्थानीय आवश्यकताओं तथा समस्याओं के अनुरूप सम्बन्धित ट्रेड का चुनाव कर उस क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर सकें।
7. महिला शिक्षकों के लिये शहरों और नगरों में स्टाफ क्वाटर्स बनाये जाये तथा उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मार्च 1975 में राष्ट्रीय महिला समिति ने राष्ट्रीय शैक्षिक एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा 10+2 पाठ्यक्रम के लिये तैयार पाठ्यक्रम पर विचार विमर्श किया तथा सुझाव दिया कि माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर पर महिला शिक्षा को और अधिक ध्यान देकर प्रगति पथ पर अग्रसर किया जाये।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालक व बालिकाओं की शिक्षा के मध्य की असमानता का प्रमुख कारण अध्यापिकाओं का अभाव माना गया। पांचवी योजना में इस अभाव की पूर्ति के लिए बालिकाओं को शिक्षण व्यवसाय में आकर्षित करने हेतु यह निश्चित किया गया कि उन्हें इस शर्त पर 'छात्र–वृत्तियाँ' प्रदान की जायें कि वे शिक्षा प्राप्ति के बाद शिक्षण– व्यवसाय को ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त इस योजना में कम शिक्षित स्त्रियों एवं बालिकाओं के लिए 'संक्षिप्त एवं पत्राचार पाठ्यक्रमों' का प्रावधान किया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना–

इस योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि सन् 1985 के अन्त तक 6–11 वय–वर्ग की 81% बालिकाओं तथा 11–14 वय–वर्ग 37% बालिकाओं को शिक्षित किया जायेगा। इस योजना में यह प्रयास किया गया कि बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाये तथा उनके नामांकन में पर्याप्त वृद्धि हो तथा अपव्यय व अवरोधन कम से कम हो इसके लिये ऐसी आवश्यक व्यवस्था हो कि स्कूलों के साथ बालवाड़ी भी संलग्न की जाए। तथा बालिकाओं के लिये ऐसी योजनायें लागू की जायें कि जिससे वे अपने परिवार के लिये धन कमा सके। बालिकाओं को निःशुल्क पुस्तकें तथा पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी जाए। महिला शिक्षकों के रहने के

लिये सरकारी क्वार्टर्स बनाये जाने चाहिए।

महिलाओं के लिये साक्षरता प्रोग्राम को तीव्र गति से विकसित किये जाने की आवश्यकता है। विशेष कर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ साक्षरता प्रतिशत अत्यन्त ही न्यून है। 15–20 वर्ष की आयु वर्ग की छात्राओं के लिये अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है।

बालिकाओं को बालकों की अपेक्षा अधिक छात्रवृत्ति दिये जाने की वर्तमान व्यवस्था को चालू रखा जाए तथा उनमें और अधिक धनराशि प्रदान किये जाने और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

बालिकाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये 1957–5९ से ही सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। जिससे स्कूलों में बालिकाओं तथा अध्यापिकाओं के लिये क्वाटर्स का निर्माण प्रमुख है। इन सब सुविधाओं से बालिकाओं के नामांकन में पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष 1980–81 में कक्षा 1–5 तक की बालिकाओं के नामांकन में वार्षिक वृद्धि 2.8 प्रतिशत थी तथा कक्षा 6 से 8 तक 7.3 प्रतिशत थी।

सावतीं पंचवर्षीय योजना–

इस योजना में मिडिल स्तर पर बालिकाओं के नामांकन हेतु तिशेष प्रयास किये गये। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गयी। इन सब प्रयासों के बावजूद हमारी केन्द्र सरकार महिला शिक्षा में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं कर सकी। वर्ष 1950–51से वर्ष 1986–87 तक स्त्रियों के नामांकन में प्रत्येक स्तर पर वृद्धि अवश्य हुई परन्तु उसकी गति अत्यन्त ही मन्द रही है।

वर्तमान समय में हमारे देश में सह शिक्षा अत्यन्त तीव्र गति से लोकप्रिय हुई और लगभग 50 प्रतिशत बालिकायें बालकों के विद्यालय में अध्ययन करती हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बालक तथा बालिकाओं की संख्या अधिक नहीं है वहाँ बालिकाओं के लिये अलग से विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं है।

नवीन क्षेत्रों में प्रत्येक 1 किमी0 की दूरी पर प्राथमिक स्तर पर सह शिक्षा विद्यालय खोले जाने चाहिए। विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय स्तर पर सह शिक्षा उचित एवं लाभकारी सिद्ध हुई है परन्तु माध्यमिक स्तर पर इसमें अभी भी काफी जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस स्तर की शिक्षा हेतु सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक इस स्तर की शिक्षा को मजबूत नहीं किया जायेगा, हमारे देश की महिलायें उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जायेगी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना–

8वीं पंचवर्षीय योजना में चाहे स्वयं का रोजगार शुरू करने का काम हो या नौकरी का क्षेत्र हो महिलाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अधिक अवसर और बेहतर स्थितियाँ प्रदान करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण महिलाओं की रचनात्मक और उत्पादक क्षमताओं का अधिकतम विकास किया जायेगा। जिससे वे सामाजिक, सांस्कृतिक, परिवर्तन में बराबर की भागीदार बन सकें।

महिला कल्याण की अनेक योजनाओं पर दृष्टि रखने तथा कानूनों की जटिलता तथा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये **"श्रीमती जयन्ती पटनायक"** की अध्यक्षता में 1990 में **"राष्ट्रीय महिला आयोग"** गठित किया गया।

5.1 सम्बन्धित साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन

5.2 अध्ययन की उपयोगिता

5.1 तुलनात्मक अध्ययन

प्राचीन और वर्तमान समय की स्त्रियों में शैक्षिक दशा का तुलनात्मक अध्ययन–

प्राचीन समय में शिक्षा के उच्च स्तर उपलबध थे, पुरूषों की भाँति स्त्रियाँ भी शिक्षा प्राप्त करने की बराबर की भागीदार थी। प्राचीन काल के वैदिक काल में स्त्रियों को बहुत ही गरिमामय एवं गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में बालक एवं बालिकाओं के बीच कोई अन्तर नहीं था, समानता के आधार पर बालकों की भाँति बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वेद में संकेत मिलते हैं, कि उस समय की स्त्रियाँ विद्वान एवं साध्वी थी। उनका शैक्षिक स्तर उच्च था। वैदिक काल में स्त्रियाँ पुरूषों के साथ धार्मिक कार्यो में भाग लेती थीं। शिक्षा की समस्त सुविधायें पूर्णरूप से स्त्रियों को प्राप्त थी। स्त्रियाँ वैदिक साहित्य पढ़ने के लिये स्वतंत्र थीं। वैदिक काल में अनेक विदुषी स्त्रियाँ हुईं, जिनमें लोपामुदा, अपाला एवं सिकता आदि का नाम उल्लेखनीय है।

परन्तु उत्तर वैदिक काल में इस दृष्टिकोण में काफी अन्तर आया स्त्रियों का समाज में स्थान निम्न हो चला गया। शिक्षा का स्तर भी कम होने लगा उत्तर वैदिक काल में धार्मिक शिक्षा केवल उच्च घरानों के स्त्रियों को ही सुलभ थीं। समाज के निम्न वर्ग की बालिकाएं शिक्षा के अवसर से वंचित होने लगी।

बौद्ध काल के उदय होने से शिक्षा में कुछ प्रोत्साहन मिला और उनकी शिक्षा के लिये पृथक मठों एवं विहारों का निर्माण किया गया।

इस्लाम धर्म के उदय से स्त्रियों ने अपनी महत्वा पूर्णता खो दी और इनकी शैक्षिक स्थिति धीरे–धीरे फिर कम होने लगी। उन्हें पर्दा प्रथा के कारण घरों में ही सीमित रखा जाने लगा शिक्षा के अवसर स्त्रियों के लिये इस काल में कम थे, उन्हें पृथक रूप से शिक्षा देने का कोई प्रावधान न था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासनकाल में भी स्त्री शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

19वीं शताब्दी में शैक्षिक दशा में धीरे–धीरे सुधार आने लगा। महात्मा गांधी जी ने पुरूषों के समान ही स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया।

वर्तमान समय में स्त्री शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, पुरूषों के समान स्त्रियों को बराबर शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। स्त्रियों का शैक्षिक स्तर ऊँचा हुआ है। आज स्त्रियों का प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिलता है। वर्तमान समय में बालिकाओं को भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों अच्छे अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जिनके उपयोग से बालिकाओं का शैक्षिक स्तर अच्छा हुआ है जो समाज की प्रगति में भी सहायक है।

5.2 अध्ययन की उपयोगिता–

जिस प्रकार प्राचीन समय में स्त्रियों की शैक्षिक दशा को सुधारने हेतु प्रयास किये गये, उसी प्रकार वर्तमान समय में भी स्त्री शिक्षा को उच्च बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इस अध्ययन की सहायता से "प्राचीन और वर्तमान

समय की स्त्रियों की शैक्षिक दशा का अध्ययन किया जा सका।'' इस अध्ययन के द्वारा ही स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। इस अध्ययन के द्वारा यह पता चलता है कि प्राचीन समय में स्त्रियों को किस प्रकार के शैक्षिक अवसर उपलब्ध थे। प्राचीन समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति क्या थी। प्राचीन समय के अध्ययन की तुलना के आधार पर आज वर्तमान समय में स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में क्या–क्या कदम उठाये जा रहे हैं। उन्हें किस प्रकार के शैक्षिक अवसर प्राप्त हैं। वर्तमान समय में क्या सभी वर्गों की स्त्रियों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं या नहीं। उनकी समाज में स्थिति क्या है।

इस अध्ययन के द्वारा प्राचीन और वर्तमान समय की स्त्रियों की शैक्षिक दशा का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सका। स्त्रियों की शिक्षा एवं समाज में उनकी स्थिति को समझने का अवसर इस अध्ययन के द्वारा प्राप्त हुआ।

6.1 निष्कर्ष

6.2 भावी अध्ययन हेतु सुझाव

6.1 निष्कर्ष

प्राचीन समय में जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विदुषी स्त्रियाँ हुई, जिसमें वैदिक काल की स्त्रियों के नाम भी प्रमुख हैं। उनकी सामाजिक स्थिति भी वैदिक काल में उच्च थी, परन्तु धीरे–धीरे उत्तर वैदिक काल, मुस्लिम काल में सामाजिक एवं शैक्षिक दोनों स्थितियाँ कमजोर होती चली गयी। फिर भी मुस्लिम काल की विदुषी स्त्रियों में रजिया बेगम, गुलबदन बेगम, नूरजहाँ, जीजाबाई, दुर्गाबाई आदि प्रमुख हैं। जिनकी शैक्षिक एवं सामाजिक दशा उच्च थीं।

ईस्ट इण्डिया के शासनकाल में भी शिक्षा उपेक्षित रही थी। स्त्री शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के सामाजिक सुधार एवं उत्थान के लिये गंभीर प्रयास किये गये। भारतीय नारी की सामाजिक दशा सुधारने के लिये श्री राजाराम मोहन राय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानन्द, महात्मागांधी आदि ने भरसक प्रयास किये तथा यह प्रयास सफल भी हुए।

यदि वर्तमान समय की बात की ओर ध्यान दिया जाये तो स्त्रियों की शैक्षिक एवं सामाजिक दशा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में बालकों की शिक्षा के साथ ही बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा के महत्व को स्वीकारा गया है। स्त्रियों को पर्याप्त शैक्षिक अवसरों के प्राप्त होने के कारण आज वे प्रत्येक क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। शैक्षिक स्थिति अच्छी होने के कारण उनको समाज में भी सम्मान जनक स्थान प्रदान किया जा रहा है। अतः कहा जा सकता है कि

शिक्षा के द्वारा स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है। आज स्त्री शिक्षा के महत्व को भारतवर्ष में स्वीकार किया गया।

6.2 भावी अध्ययन हेतु सुझाव–

1. प्रस्तुत अध्ययन में स्त्री शिक्षा के विकास का अध्ययन किया गया है इसी प्रकार स्त्री की सामाजिक स्थिति के विकास का अध्ययन का किया जा सकता है।

2. प्रस्तुत अध्ययन की सहायता से स्त्रियों की संवेगात्मक अभिवृत्ति का अध्ययन भी किया जा सकता है।

3. प्रस्तुत अध्ययन में सिर्फ प्राचीन और वर्तमान समय की स्त्रियों की शैक्षिक दशा का अध्ययन किया गया है। इसी प्रकार वर्तमान समय में स्त्रियों में शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण के प्रभाव का अध्ययन किया जा सकता है।

4. प्रस्तुत अध्ययन स्त्रियों की शैक्षिक दशा का अध्ययन किया गया है। इसी प्रकार सांस्कृतिक एवं शैक्षिक प्रभावों का अध्ययन किया जा सकता है।

5. प्रस्तुत अध्ययन में प्राचीन और वर्तमान समय की स्त्रियों की शैक्षिक दशा का अध्ययन किया गया है, इस क्षेत्र में जिन–जिन समाज सुधारकों ने अपने विचार प्रस्तुत किये हैं उन समाज सुधारकों एवं उनके विचारों का अध्ययन किया जा सकता है।

6. प्रस्तुत अध्ययन में प्राचीन और वर्तमान समय की स्त्रियों की शैक्षिक दशा का अध्ययन किया गया है। इसी प्रकार प्राचीन शिक्षा प्रणाली एवं वर्तमान शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्निहोत्री, रवीन्द्र : भारतीय शिक्षा का इतिहास, रतन प्रकाश मंदिर, आगरा
2. शर्मा, एल0पी0 : भारतीय इतिहास, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
3. अग्रवाल, बी0बी0 : आधुनिक भारतीय शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
4. अग्रवाल, जे0सी0 अग्रवाल, एस0पी0 : वीमेन एजुकेशन इन इण्डिया कान्सेप्ट, पब्लिकेशन, नई दिल्ली
5. देसाई, एन0 : वीमेन इन मार्डन इण्डिया, वोरा एण्ड कम्पनी, बम्बई।
6. गुप्त, रामबाबू : भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, रतन प्रकाशन मन्दिर, आगरा–2
7. कुमार, नरेश : राष्ट्रीय शिक्षा विनोद प्रकाश, मेरठ।
8. मदन मोहन : भारतीय शिक्षा का विकास और समस्यायें, कैलाश प्रकाशन, इलाहाबाद।

9. पाण्डेय, रामशक्ल : राष्ट्रीय शिक्षा,
विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

10. रस्तोगी, के0जी0 : भारतीय शिक्षा का विकास और समस्यायें,
रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ।

11. राय, पारसनाथ : अनुसंधान परिचय,
लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।

12. श्रीवास्तव, डी0एन0 : अनुसंधान विधियाँ,
साहित्य प्रकाशन, आगरा–3

13. पाठक, पी0डी0 : भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं